कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं०सं०) गोरखपुर।

अधिकार–पत्र

1– राजस्व ग्राम का नाम– मानेवला,
2– परगना,तहसील एवं जिला– हवेली, सदर, गोरखपुर।
3– अर्जन निकाय का नाम– गोरखपुर विकास प्राधिकारण, गोरखपुर।
4– योजना का नाम– जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु।
5– धारा–4(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि 15.07.2004
6– धारा–6(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि 24.02.2005
7– कब्जा परिवर्तन की तिथि– 28.06.2011
8– कब्जा देने वाले कर्मचारी का नाम गोविन्द प्रसाद

28/06/2011

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया। (मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त निम्न आराजी नम्बरानों का कब्जा दिया जा रहा है)

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित किया जाने वाले क्षेत्रफल(हे0में)
1	2	3	4
1-	मानेवला	695m	0-328
		678m	0-060
		675m	0-259
		670m	0-085
		671m	0-045
		673m	0-059 1/3
		योग-	0-836 1/3 हे0

28/6/11
कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम– संजय कुमार श्रीवास्तव
पदनाम– अ0 अभि0
दिनांक– 28/6/11

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम– गोविन्द प्रसाद
पदनाम– भू0 अ0 अमीन
दिनांक– 28/6/2011

प्रति हस्ताक्षरित
28/06/2011
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

प्रति हस्ताक्षरित
28/6/11
सचिव
गोरखपुर
विकास प्राधिकरण
गोरखपुर
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं०सं०) गोरखपुर।

अधिकार–पत्र

1– राजस्व ग्राम का नाम– मानेवला,
2– परगना,तहसील एवं जिला– हेवली, सदर, गोरखपुर।
3– अर्जन निकाय का नाम– गोरखपुर विकास प्राधिकारण, गोरखपुर।
4– योजना का नाम– जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु।
5– धारा–4(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि 15.07.2004
6– धारा–6(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि 24.02.2005
7– कब्जा परिवर्तन की तिथि– 28.06.2011
8– कब्जा देने वाले कर्मचारी का नाम - गोविन्द प्रसाद

28/06/2011

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं०सं०) गोरखपुर।

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया। (मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरान्त निम्न आराजी नम्बरानों का कब्जा दिया जा रहा है)

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित किया जाने वाले क्षेत्रफल(हे०में)
1	2	3	4
1-	मानेवला	695M	0-328
		678M	0-060
		675M	0-259
		670M	0-085
		671M	0-045
		673M	0-059⅓
		योग-	0-836⅓ हे०

28/6/11

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम– संजय कुमार श्रीवास्तव
पदनाम– अ० अभि०
दिनांक– 28/6/11

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम– गोविन्द प्रसाद
पदनाम– भू० आ० अमीन
दिनांक– 28/6/2011

प्रति हस्ताक्षरित
28/06/2011
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं०सं०) गोरखपुर।

प्रति हस्ताक्षरित
28/6/11
सचिव
गोरखपुर
विकास प्राधिकरण
गोरखपुर
सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर।

:- पूरक अभिनिर्णय :-

1- वाद सं0- 373/2006
2- ग्राम,तप्पा,परगना,तहसील व जिला- मानवेला,खुटहन,हवेली,सदर व गोरखपुर।
3- अर्जन निकाय का नाम- सचिव,गोरखपुर विकास,प्राधिकरण,गोरखपुर।
4- अध्याप्ति का प्रयोजन- सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अर्जन।
5- पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल- 1.262⅓हे0
6- क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है? हां
7- क्या धारा-17(1)लागू है ? हां
8- धारा-4(1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि संख्या-4208/9-आ-3-2003-7एल0ए0-2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003

प्रकाशनः-

(क) उ0प्र0 असाधारण गजट दिनांक 22.11.03
(ख) दैनिक आज दिनांक 30.12.03
(ग) दैनिक चेतना विचार धारा दिनांक 30.12.03
(घ) पब्लिक नोटिस दिनांक 15.07.04

9- धारा-6 (1)/17 की अधिसूचना की संख्या/तिथि संख्या-5253/8-आ-3-2004-07एल0ए0-03 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004

प्रकाशनः-

(क) उ0प्र0 असाधारण गजट दिनांक 28.12.04
(ख) दैनिक गोरखपुर केसरी दिनांक 04.01.05
(ग) दैनिक स्वतंत्र चेतना दिनांक 05.01.05
(घ) पब्लिक नोटिस दिनांक 24.02.05

10- अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक- 29.12.05,28.09.06,2202.07 व 16.06.07
10ए.- पूरक अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक- 28.06.11
11- पूरक अभिनिर्णय का दिनांक- 28.06.11
12- निर्धारित प्रतिकर-

क.कृषक भूमि का प्रतिकर (करार नियमावली-1997)	मु0- ----
ख.कृषक भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0- 14,85,709.19
ग.अन्य दर से -	शून्य
घ.सम्पति का प्रतिकर	शून्य
ड.30 सोलिशियम	मु0- 4,45,712.76
च.12 अतिरिक्त प्रतिकर	मु0- 2,81,893.62
योगः-	22,13,315.57

अर्जन सहायक
28/6/11

13- भूमि अध्याप्ति व्यय- मु0 2,23,647.00
14- ब्याज की धनराशि- मु0 23,156.85
15- पूंजीकृत मूल्य- मु0 4823.00

-: अभिनिर्णय का औचित्य :-

सचिव,गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जपनद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 77.539हे0 भूमि ग्राम-मानवेल। तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरांत शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोंपरांत अपने आदेश सं0-4208/9-आ-3-2003-07 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.03,दो स्थानीय समाचार पत्र **आज** व **चेतना** विचार धारा में दिनांक 30.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 15.07.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 15.07.04 को निर्धारित किया गया।

धारा-6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं0-52-53/8-आ-3-2004-07 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 28.12.04, दो समाचार पत्र **"गोरखपुर केंसरी"** एवं **"स्वतंत्र चेतना"** में दिनांक 05.01.05 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 24.02.05 को करायो गयी। इस प्रकार धारा-6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 24.02.05 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख करायी गयी। जिसमें आराजी सं0 573 रकबा 0.069हे0 कब्रिस्तान आराजी सं0 696मि0 रकबा 0.010हे0, 700मि0 रकबा 0.002हे0, 702मि0 रकबा 0.003हे0, 883मि0 रकबा 0.002हे0 कुल रकबा 0.017हे0 राजस्व अभिलेख में अंकित रकबें से अधिक का गजट पाया गया। जिसको अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया है, तथा विज्ञप्ति के डी नोटिफिकेशन हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया। तत्पश्चात धारा-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.05 से 21.04.05 तक का समय नियत करके आपत्ति की सुनवायी की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु0 11,77,843.33 पैसें को 80% 9,42,274.66 पैसा प्रति हे0 के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80% अनुमानित प्रतिकर का भुगतान करते हुए भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:-

दिनांक	हस्तान्तरित क्षे. हे0 में
29.12.2005	62.832-5/6हे0
28.09.2006	0.887हे.
22.02.2007	8.509-5/6हे0
16.06.07	0.412हे0
28.06.11	1.262⅓हे.

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र एवं अधिक विज्ञप्ति क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद / रिट / विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है। जिसमे मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित भू–क्षेत्रों के अधिग्रहण की कार्यवाही नही की गयी है और न ही इसे अभिनिर्णय मे शामिल किया गया है। स्थगन से प्रभावित 05.237$\frac{1}{3}$हे0 में से 0.426हे0 भूमि को छोडकर शेष भूमि पर कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही नही की गयी, परन्तु अधिकार हस्तान्तरण के उपरान्त गाटा सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0 व गाटा सं0 697मि0 रकबा 0.300हे0 से सम्बंधित भूस्वामी क्रमश: श्रीमती सुनीता शर्मा व श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 8390 / 07 व 9691 / 07 दाखिल की गयी है। जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अत: अधिकार हस्तान्तरण की गयी- कुल 72.641$\frac{2}{3}$हे0 भूमि में से गाटा सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0 व 697मि0 रकबा 0.300हे0 कुल 0.426हे0 भूमि को अलग करके शेष क्षेत्रफल 72.215–2 / 3हे0 पर अभिनिर्णय की कार्यवाही की गयी थी। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश के बाद से प्रभावित 05.237$\frac{1}{3}$हे0 भूमि को अभिनिर्णय मे शामिल किया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में वादी द्वारा क्रमश: आनन्द सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य, दयाशंकर लाल गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य, हीरामन व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य, श्रीमती सुनीता शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य, श्रीमती सरस्वती देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य तथा रामनयन व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य दाखिल किया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.07.10 जिसमें भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 48(1) के अन्तर्गत शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए स्थगित कर दिया गया है, के अनुपालन में याचीगण द्वारा शासन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए याचीगण के प्रत्यावेदन क्रमश: दिनांक 14.09.10, 09.09.10, 16.09.10, दिनांक रहित, 13.09.10 तथा 16.09.10 के आलोक में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त क्रमश: दिनांक 28.02.11, 21.03.11, 21.03.11, 21.03.11, 11.05.11 एवं 31.05.11को प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण शासन द्वारा निरस्त करते हुए एतद्वारा निस्तारित किया गया। याचीगण के नियमानुसार शासन द्वारा लिए गए निर्णय से अवगत कराने के पश्चात अर्जनाधीन भूमि आ0सं0 695मि0 रकबा 0.328हे0, आ0सं0 675मि0 रकबा 0.259हे0, आ0सं0 678मि0 रकबा 0.060हे0, आ0सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0, आ0सं0 697मि0 रकबा 0.300हे0 एवं आ0सं0 670मि. रकबा 0.085हे. आ0सं0 671मि0 रकबा 0.045हे. आ0सं0 673मि0 रकबा 0.059$\frac{1}{3}$हे0 कुल अर्जित क्षेत्रफल 1.262$\frac{1}{3}$हे0भूमि के प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

–: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :–

सम्यक् विचारोपरान्त मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बड़े क्षेत्रफल का विक्रय पत्र है, तथा परिशिष्ट दो में उपलब्ध समस्त विक्रय पत्रो मे से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बडा बैनामा है। ये विक्रय पत्र श्री शंकर पुत्र लखन द्वारा दिनांक 20.06.03 को आराजी सं0–639

रकबा–0.243हे0 यानि 60 डि0 भूमि का रू0 2,86,000.00/–मे श्रीमती गीता नायक पत्नी अनिल कुमार नायक व रामनरायन पुत्र स्व0 रामअधार नायक के पक्ष में विक्रय किया गया है। यह विक्रय पत्र रू011,76,954.73 प्रति हे0 की दर प्रदर्शित करता है जो अधिग्रहीत भूमि के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। अतः अर्जित की जा रही समस्त भूमि का प्रतिकर निर्धारण स्थित एवं उपयोगिता एक समान होने के कारण प्रतिनिधि विक्रय पत्र क्रमांक–38 की दर रू0 11,76,954.73 प्रति हे0 की दर से एक समान दर से निर्धारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

याचीगण द्वारा करार के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रार्थना प्रस्तुत न करने के कारण अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया गया। अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 1.262⅓हे0 भूमि का प्रतिकर मु0 11,76,954.73 रूपया प्रति हे0 की दर से निर्धारित किया जाता है।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम–मानवेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के आ0सं0 695मि0 रकबा 0.328हे0, आ0सं0 675मि0 रकबा 0.259हे0, आ0सं0 678मि0 रकबा 0.060हे0, आ0सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0, आ0सं0 697मि0 रकबा 0.300हे0 एवं आ0सं0 670मि. रकबा 0.085हे. आ0सं0 671मि0 रकबा 0.045हे. आ0सं0 673मि0 रकबा 0.059⅓हे0 कुल अर्जित क्षेत्रफल 1.262⅓हे0 भूमि के प्रतिकर की गणना निम्नानुसार किया गया।

अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक	क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिकर	30प्रतिशत जोलेशियम	12प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	ब्याज	योग
1	2	3	4	5	6	7
28.06.11	1.262⅓हे0	14,85,709.19	4,45,712.76	2,81,893.62	23,156.85	22,36,472.42
पूर्ण योगः–	1.262⅓हे0	14,85,709.19	4,45,712.76	2,81,893.62	23,156.85	22,36,472.42

अतः ग्राम–मानवेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के आ0सं0 695मि0 रकबा 0.328हे0, आ0सं0 675मि0 रकबा 0.259हे0, आ0सं0 678मि0 रकबा 0.060हे0, आ0सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0. आ0सं0 697मि0 रकबा 0.300हे0 एवं आ0सं0 670मि. रकबा 0.085हे. आ0सं0 671मि0 रकबा 0.045हे. आ0सं0 673मि0 रकबा 0.059⅓हे0 **कुल अर्जित क्षेत्रफल 1.262⅓हे0** भूमि का प्रतिकर मु0 22,36,472.42रू0 निर्धारित किया गया है। यह धनराशि पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 09.02.09 में घोषित कुल प्रतिकर की धनराशि 13,96,36,168.00 रूपया में जोडकर पूर्णयोग मु0 14,18,72,640.42रू0 आता है, घोषित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय :– पूरक अभिनिर्णय की धनराशि मु0 22,36,472.42रू0 का 10 प्रतिशत मु0 2,23,647.00 रू0 भूमि अध्याप्ति व्यय के रूप मे अध्याप्ति निकाय से वसूल कर नियमानुसार राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य :– पूरक अभिनिर्णय से प्रभावित क्षेत्रफल 1.262⅓हे0 पर अर्जित भूमि के राजस्व रूपया 32.15 का 150गुना रू0 4822.50 यानि मु0 4823.00 राज्य सरकार के राजस्व खाते में पूंजीकृत मूल्य वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मैं श्यामलाल सिंह कुशवाहा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं.स.) गोरखपुर ग्राम–मानवेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर मे गोरखपुर विकास

प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 1.262⅓हे0 भूमि का प्रतिकर 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर तथा ब्याज कुल योग मु0 22,36,472.42रू0 पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती करकें, सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। पूरक अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण पूरक भू अर्जन प्रपत्र–11 व पूरक अनुसूची–3 में अंकित है, जो अभिनिर्णय का अंग होगा। यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 09.02.09 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

28/6/2011

स्थान :– गोरखपुर।
दिनांक :– 28.06.11

(श्यामलाल सिंह कुशवाहा)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0)गोरखपुर।

कार्यालयः विशेष भूमि अध्यापित अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर।

-: पूरक अभिनिर्णय :-

1	वाद सं0	1373/2006
2	ग्राम,तप्पा,परगना,तहसील व जिला	मानबेला,खुटहन,हवेली,सदर व गोरखपुर।
3	अर्जन निकाय का नाम	सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर
4	अध्याप्ति का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	77.539हे0
5ए	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	2.040हे0
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हाँ
7	क्या 17(1) लागू है	हाँ
8	धारा-4(1)/17 की अधिसूचना की सं0/ तिथि	संख्या-4208/9-आ-3-2003-7एल0ए0-2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003
	प्रकाशन :-	
	क- उ0प्र0असाधारण गजट	दिनांक 22.11.03
	ख- दैनिक आज	दिनांक 30.12.03
	ग- दैनिक चेतना विचार धारा	दिनांक 30.12.2003
	घ- पब्लिक नोटिस	दिनांक 15.07.04
9	धारा-6(1)/17 की अधिसूचना की सं0/ तिथि	संख्या-5253/8-आ-3-2004-07एल0ए0-03 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004
	प्रकाशन :-	
	क- उ0प्र0असाधारण गजट	दिनांक 28.12.2004
	ख- दैनिक गोरखपुर केसरी	दिनांक 04.01.2005
	ग- दैनिक स्वतंत्र चेतना	दिनांक 05.01.2005
	घ- पब्लिक नोटिस	दिनांक 24.02.2005
10	अधिकार हस्तान्तरण	22.08.12
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	22.08.12
12	प्रतिकर निर्धारण :-	
	क- भूमि का प्रतिकर (करार नि.- 1997)	मु0 ----
	ख- भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0 24,00,987.65
	ग- सम्पत्ति का प्रतिकर	मु0 ---
	घ- 30% सोलेशियम	मु0 7,20,296.30
	ङ- 12% अतिरिक्त प्रतिकर	मु0 5,96,526.05
	सम्पूर्ण योगः-	37,17,810.00
13	भूमि अध्याप्ति व्यय	3,71,781.00
14	ब्याज की धनराशि	--

Scanned with OKEN Scanner

15	पूँजीकृत मूल्य	2,090.40 यानि 2,090.00

-: अभिनिर्णय का औचित्य :-

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जपनद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 77.539हे0 भूमि ग्राम मालवेला, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरांत शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोंपरांत अपने आदेश सं0-4208/9-आ-3- 2003-07 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.03, दो स्थानीय समाचार पत्र आज व चेतना विचार धारा में दिनांक 30.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 15.07.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 15.07.04 को निर्धारित किया गया।

धारा-6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं0-52-53/8-आ-3-2004-07 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 28.12.04, दो समाचार पत्र "गोरखपुर केंसरी" दिनांक 04.01.05 एवं "स्वतंत्र चेतना" में दिनांक 05.01.05 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 24.02.05 को करायी गयी। इस प्रकार धारा-6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 24.02.05 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख करायी गयी। जिसमें आराजी सं0 678 रकबा 0.069हे0 कब्रिस्तान आराजी सं0 696मि0 रकबा 0.010हे0, 700मि0 रकबा 0.002हे0, 702मि0 रकबा 0.003हे0, 883मि0 रकबा 0.002हे0 कुल रकबा 0.017हे0 राजस्व अभिलेख में अंकित रकबे से अधिक का गजट पाया गया। जिसको अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया है, तथा विज्ञप्ति के डी नोटिफिकेशन हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया। तत्पश्चात धारा-9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.05 से 21.04.05 तक का समय नियत करके आपत्ति की सुनवायी की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु0 11,77,843.33 पैसें को 80% मु0 9,42,274.66 पैसा प्रति हे0 के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80%अनुमानित प्रतिकर का भुगतान करते हुए भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को

हस्तान्तरित किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है

दिनांक	हस्तान्तरित क्षे. हे0 में
29.12.2005	62.832–5/6हे0
28.09.2006	0.887हे.
22.02.2007	8.509–5/6हे0
16.06.07	0.412हे0
28.06.11	1.262

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र एवं अधिक विज्ञप्ति क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित भू–क्षेत्रों के अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही इसे अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। स्थगन से प्रभावित 05.237 हे0 में से 0.426हे0 भूमि को छोड़कर शेष भूमि पर कब्जा हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 74963/05 विश्वनाथ बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य व याचिका सं0 62476/05 श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य दाखिल की गयी है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः अधिकार हस्तान्तरण की गयी कुल 72.641⅔हे0 मे से गाटा सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0 व 697मि0 रकबा 0.300हे0 कुल रकबा 0.426हे0 भूमि को अलग शेष क्षेत्रफल 72.215⅔हे0 भूमि पर अभिनिर्णय की कार्यवाही की गयी थी। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश के बाद से प्रभावित 05.237⅓हे0 भूमि को अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वादी द्वारा क्रमशः श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य व विश्वनाथ व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार का अन्य दाखिल किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.2011 जिसमें भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 48(1) के अन्तर्गत शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए स्थगित कर दिया गया है, के अनुपालन मे याचीगण द्वारा शासन के समक्ष अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। शासन द्वारा उभय पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए याचीगण के प्रत्यावेदन क्रमशः दिनांक 18.10.2011 व 18.11.2011 के आलोक में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त क्रमशः दिनांक 23.02.12 को प्रत्यावेदन बलहीन होने के कारण शासन द्वारा निरस्त करते हुए एतद्द्वारा निस्तारित किया गया। याचीगण के प्रत्यावेदनों पर नियमानुसार शासन द्वारा लिए गये निर्णय से अवगत कराने के उपरान्त अर्जनाधीन भूमि आ0सं0 707मि0/0.731, 712मि0/0.231, 702मि0/0.240, 716मि0/0.644 व आ0सं0 911मि0/0.194 कुल अर्जित क्षेत्रफल 2.040हे0 भूमि के प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

-: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :-

1 सम्यक विचारोपरान्त मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बड़े क्षेत्रफल का विकय पत्र है, तथा परिशिष्ट दो में उपलब्ध समस्त विकय पत्रों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बडा बैनामा है। ये विकय पत्र श्री शंकर पुत्र लखन द्वारा दिनांक 20.06.03 को आराजी सं0 639 रकबा 0.243हे0 यानि 60डि0 भूमि का रू0 मु0 2,86,000.00/-में श्रीमती गीता नायक पत्नी अनिल कुमार नायक व रामनरायन पुत्र स्व0 रामअधार नायक के पक्ष में विकय किया गया है। यह विकय पत्र रू0 11,76,954.73 प्रति हे0 की दर प्रदर्शित करता है, जो अधिग्रहीत भूमि के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है। अतः अर्जित की जा रही समस्त भूमि का प्रतिकर निर्धारण स्थित एवं उपयोगिता एक समान होने के कारण प्रतिनिधि विकय पत्र कमांक-38 की दर रू0 11,76,954.73 प्रति हे0 की दर से एक समान दर से निर्धारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

याचीगण द्वारा करारके अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया गया। अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 2.040हे0 भूमि का प्रतिकर मु0 11,76,954.73रूपया प्रति हे0 की दर से निर्धारित किया जाता है।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम-मानवेला तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के आ0सं0 707मि0/0.731, आ0सं0 712मि0/0.231, आ0सं0 702मि0/0.240, आ0सं0 716मि0/0.644 व आ0सं0 911मि0/0.194 कुल अर्जित क्षेत्रफल 2.040हे0 भूमि के प्रतिकर की गणना निम्नानुसार किया गया :-

अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक	क्षेत्रफल (हे0में)	प्रतिकर	30प्रतिशत सोलेशियम	12प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर	योग
1	2	3	4	5	6
2.08.12	2.040	24,00,987.65	7,20,296.30	5,96,526.05	37,17,810.00
योग	2.040	24,00,987.65	7,20,296.30	5,96,526.05	37,17,810.00

अतः ग्राम-मानवेला तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के आ0सं0 707मि0/0.731, आ0सं0 712मि0/0.231, आ0सं0 702मि0/0.240, आ0सं0 716मि0/0.644 व आ0सं0 911मि0/0.194 कुल अर्जित क्षेत्रफल 2.040हे0 भूमि के प्रतिकर मु0 37,17,810.00रू0 निर्धारित किया गया है। यह धनराशि पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 09.02.09 व पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.06.11 में घोषित कुल प्रतिकर की धनराशि 14,18,72,640.42रू0 में जोड़कर पूर्ण योग मु0 14,55,90,450.42रू0 आता है, घोषित किया जाता है।

अध्याप्ति व्यय :- पूरक अभिनिर्णय की धनराशि मु0 37,17,810.00रू0 का 10 प्रतिशत भूमि अध्याप्ति व्यय के रूप में अध्याप्ति निकाय से वसूल कर नियमानुसार राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

पूजीकृत मूल्य :– पूरक अभिनिर्णय से प्रभावित क्षेत्रफल 2.040है0 पर पूजीकृत मूल्य 52.26पैसा आता है का समयोजन नियमानुसार किया जायेगा तथा कुल पूजीकृत मूल्य की धनराशिं मु0 2,090.00होगा।

अतः मैं ओम प्रकाश चौबे, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं.सं.) गोरखपुर ग्राम–[illegible] तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की रकबी 2.040है0 भूमि का प्रतिकर, 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर का कुल योग मु0 87,17,810.00रू0 पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। पूरक अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण पूरक भू-अर्जन प्रपत्र–11 व पूरक अनुसूची–3 में अंकित है, जो अभिनिर्णय का अंग होगा। यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 09.02.09 व पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.06.2011 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान :– गोरखपुर।
दिनांक :–22.08.2012

(ओम प्रकाश चौबे)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0)गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं0सं0), गोरखपुर।
पूरक अभिनिर्णय आदेश

1	वाद सं0	1373–2 / 2006
2	ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला	मानबेला, खुटहन, हवेली, सदर व गोरखपुर।
3	अर्जन निकाय का नाम	सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
4	अध्याप्ति का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन।
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	77.539हे0
5ए	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	1.853हे0
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हॉं
7	क्या 17(1) लागू है।	हॉं
8	धारा–4(1) / 17 की अधिसूचना की सं0 / तिथि	संख्या–4208 / 9–आ–3–2003–07एल0ए0 / 2003 लखनऊ–दिनांक 22, नवम्बर 2003
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधरण गजट	दिनांक 22.11.2003
	ख– दैनिक चेतना विचारधारा	दिनांक 30.12.2003
	ग– दैनिक आज	दिनांक 30.12.2003
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 15.07.2004
9	धारा–6(1) / 17 की अधिसूचना की सं0 / तिथि	संख्या–5253 / 8–3–2005–07एल0ए0 / 2003 लखनऊ–दिनांक 28 दिसम्बर 2004
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 28.12.2004
	ख– दैनिक स्वतंत्र चेतना	दिनांक 05.01.2005
	ग– दैनिक गोरखपुर केशरी	दिनांक 04.01.2005
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 24.02.2005
10	अधिकार हस्तान्तरण	19.12.2005, 28.09.2006, 22.02.2007 16.06.2007
11	पूरक हस्तान्तरण का क्षेत्रफल व दिनॉक	1.853 हे0 – 10.04.2024
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	10.04.2024
12	प्रतिकर निर्धारणः–	
	क– भूमि का प्रतिकर (करार नि0 1997)	मु0 ———
	ख– भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0–21,80,897.00
	ग– सम्पत्ति का प्रतिकर	मु0 ———
	घ– दो गुने के आधार	मु0–43,61,794.00
	घ– 100% सोलेशियम	मु0–43,61,794.00
	ड– 12% अतिरिक्त प्रतिकर	मु0–10,01,194.00
	सम्पूर्ण योगः–	मु0–97,24,782.00
13	**2.5%** भूमि अध्याप्ति व्यय	मु0–2,43,120.00
14	कुल योग	मु0–99,67,902.00
15	पूँजीकृत मूल्य	नियमानुसार देय

Scanned with OKEN Scanner

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप में 77.539 हें0 भूमि ग्राम–मानबेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जॉचोपरान्त शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोंपरान्त अपने आदेश संख्या–4208/9–आ– 3–2003–07एल0ए0/2003 लखनऊ–दिनांक 22,नवम्बर, 2003 को धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.2003 तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक चेतना विचारधारा व दैनिक आज में दिनांक 30.12.2003 को प्रकाशन कराया गया जिसकी स्थानीय सूचना/पब्लिक नोटिस दिनांक 15.07.2004 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 15.07.2004 को किया गया।

धारा–6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति संख्या–5253/8–3–2005–07एल0ए0/2003 लखनऊ–दिनांक 28,दिसम्बर,2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 28.12.2004 को तथा दो समाचार पत्र दैनिक स्वतंत्र चेतना में दिनांक 05.01.2005 को एवं दैनिक गोरखपुर केसरी में दिनांक 04.01.2005 को प्रकाशन कराया गया, जिसकी स्थनीय सूचना/पब्लिक नोटिस दिनांक 24.02.2005 को करायी गयी। इस प्रकार धारा–6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 24.02.2005 को किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए धारा 9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.2005 से 21.04.2005 तक का समय नियत करके आपत्ति की सुनवायी कर नियमानुसार निस्तारण किया गया।

अधिकार हस्तान्तरित भू–क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भू–स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल 1.853हे0 के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी थी और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया था। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सम्बन्धित वादीगणों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के निस्तारण के सम्बंध में अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा पत्रांक–26/भू–अर्जन अनु0/गो0वि0प्रा0/2024–25 दिनांक 10.04.2024 से अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न है–

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	विशेष अनुज्ञा याचिका सं0/पक्षकारों के नाम/योजित तिथि	खसरा सं0/ अर्जित रकबा हे0 में	निस्तारित दिनॉक
1	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	64675/2005, हनुमान प्रसाद व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/01.10.2005	गाटा–704 अर्जित रकबा–0.127हे0	19.10.2011
2	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	649000/2005, श्रीमती सबरूननिशा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/ 03.10.2005	गाटा–678मि0 अर्जित रकबा–0.028हे0	19.10.2011
3	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	63626/2005, रमेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/ 24.09.2005	गाटा–715मि0 अर्जित रकबा–0.372हे0, गाटा–717मि0 अर्जित रकबा–0.077हे0, गाटा–719मि0 अर्जित रकबा–0.320हे0, गाटा–720मि0 अर्जित रकबा–0.462हे0	13.04.2023

Scanned with OKEN Scanner

4	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	72346/2005, मोहम्मदीन खॉ व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/23.11.2005	गाटा–534मि0 अर्जित रकबा–0.167है0, गाटा–571मि0 अर्जित रकबा–0.300है0	24.04.2023
		रकबे का योग–	1.853है0	

अतः उपरोक्त अंकित गाटे/आराजी का कब्जा हस्तांतरण व एवार्ड घोषित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अर्जन निकाय सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक–मेमो/भू–अर्जन अनु0/गो0वि0प्रा0/2024–25/दिनॉक 03.04.2024 से अवगत कराया कि चूँकि उपरोक्त योजित वाद का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा वर्तमान में किया गया है जिस कारण भू–अर्जन हेतु वर्तमान में लागू/क्रियाशील "भू–अर्जन पुर्नवासन व पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (1–क) व धारा–25 के अन्तर्गत लागू उपबन्धों के अनुसार निस्तारित वाद के सम्बन्धित आराजी का प्रतिकर की गणना करते हुए अभिनिर्णय घोषित किया जाना उचित होगा। इसी सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P. C-Excutive Engineer Gosikhurd Project Ambadi, Bhandara, Maharashtra Vidarbha Irrigation Development Corporation Vs. Mahesh & others व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय रिट सी0 सं0–31120/2019 प्यारेलाल एवं 24 अन्य व रिट सी0 सं0–21621/2023 राजेन्द्र कुमार व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त व निर्देशानुसार ही प्रतिकर की गणना कर अभिनिर्णय घोषित किया जाना उचित होगा। जिसके उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा खारिज वादों से सम्बंधित वादीगण की अर्जित कुल 1.853है0 भूमि का अधिकार/कब्जा अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को दिनांक 10.04.2024 हस्तान्तरित करते हुए रकबा 1.853है0 भूमि का प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

–: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :–

अर्जनाधीन ग्राम–मानबेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप में 77.539 हें0 भूमि के सापेक्ष में घोषित अभिनिर्णय वाद सं0 1373/2006 दिनांक 09.02.2009 के पृष्ठ सं0 14 पर अंकित प्रतिकर की दर निर्धारण का कारक सुपष्ट व विस्तरित रूप से उल्लिखित है। उक्त के अनुसार निर्धारित प्रतिकर की दर मु0 11,76,954.73 प्रति हे0 से उपरोक्त सूची में अंकित आराजियो की अर्जित भूमि का प्रतिकर गणना भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा–24 (1–क) में दिये गये निर्देश के नियमानुसार किया गया है–

गाटा सं0	अर्जित रकबा (है0 में)	निर्धारित प्रतिकर की दर/है0	प्रतिकर	ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर का दोगुना	100% सोलेशियम	12% अति0 धनराशि	योग (5+6+7)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
704	0.127	11,76,954.73	1,49,473.00	2,98,946.00	2,98,946.00	2,57,110.00 (5232दिन का)	8,55,002.00	
678मि0	0.028		32,955.00	65,910.00	65,910.00	56,697.00 (5233दिन का)	1,88,517.00	
715मि0 717मि0 719मि0 720मि0	0.372 0.077 0.320 0.462		14,48,831.00	28,97,662.00	28,97,662.00	4,92,047.00 (1033दिन का)	62,87,371.00	
554मि0 571मि0	0.167 0.300		5,49,638.00	10,99,276.00	10,99,276.00	1,95,340.00 (1081दिन का)	23,93,892.00	
योग–	1.853		21,80,897.00	43,61,794.00	43,61,794.00	10,01,194.00	97,24,782.00	

9

Scanned with OKEN Scanner

इस प्रकार ग्राम–मानबेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के उपरोक्त सूची के कालम 1 में अंकित गाटों व कालम 2 में अर्जित रकबे के अनिवार्य अर्जन हेतु निर्धारित दर के अनुसार प्रतिकर गणना कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–30(2) के अनुसार अनुसूची–1 के कम संख्यांक–1 के स्तम्भ–2 के निर्धारित प्रतिकर में स्तम्भ–3 के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर की धनराशि को (दो) से गुणित करने पर भूमि का प्रतिकर व 100 प्रतिशत सोलेशियम की गणना की गयी है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की गणना में आराजियों के सम्बन्ध में योजित वाद के तिथि से निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

अतः मै, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर ग्राम–मानबेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 1.853हें0 भूमि का प्रतिकर मु0 21,80,897.00रू0 होता है। जिसके आधार पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–30(2) के अनुसार अनुसूची–1 के कम संख्यांक–1 के स्तम्भ–2 के निर्धारित प्रतिकर में स्तम्भ–3 के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर की धनराशि को (दो) से गुणित करने पर भूमि का प्रतिकर मु0 43,61,794.00 मात्र होता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–30(1) के अनुसार शत प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम देय है, जो प्रगणित करने पर मु0 43,61,794.00 होता है। इसके अतिरिक्त धारा–30(3) के अन्तर्गत 3ए के पेपर प्रकाशन की तिथि 10.06.2004 से अभिनिर्णय की तिथि 10.04.2024 तक का भूमि के मूल प्रतिकर की धनराशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त प्रतिकर भी देय है जो प्रगणना से मु0 10,01,194.00 होता है। इस प्रकार प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु0 97,24,782.00 (मु0 सन्तानबे लाख चौबीस हजार सात सौ बयासी रूपये मात्र) प्रगणित है। अभिनिर्णित धनराशि पर 2.5 प्रतिशत अर्जन व्यय मु0 2,43,120.00 होता है तथा नियमानुसार लगान की धनराशि का 40 गुना अध्याप्ति निकाय से वसूल कर जमा कोष किया जायेगा।

अतः मैं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (सं0सं0) गोरखपुर राजस्व ग्राम–मानबेला, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जित की जा रही रकबा 1.583हे0 भूमि का प्रतिकर, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर मूल्य का 2गुना (कारक) प्रतिकर, 100 प्रतिशत तोषण एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की कुल धनराशि 97,24,782.00 का पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ तथा यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनॉक 09.02.2009 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान–गोरखपुर।
दिनांक–10.04.2024

(सुशील कुमार गौड़)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर।

अधिकार–पत्र

1–	राजस्व ग्राम :	मानबेला
2–	परगना, तहसील व जिला :	हवेली, सदर व गोरखपुर।
3–	अर्जन निकाय का नाम :	गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
4–	योजना का नाम :	जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु।
5–	धारा–4(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि :	15.07.2004
6–	धारा–6(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि :	24.02.2005
7–	कब्जा परिवर्तन की तिथि :	22.08.2012
8–	कब्जा देने वाले का नाम :	श्री गोविन्द प्रसाद

22/8/12

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

भूमि का विवरण जिस पर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को मौके पर दिया गया। (मा0 उच्च न्यायालय/शासन के निर्णय के उपरान्त निम्न आराजी नम्बरानों का कब्जा दिया जा रहा है।)

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा नं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल (हे0में)
1	2	3	4
	मानबेला	702मि	0.240
		707मि	0.731
		712	0.231
		716	0.644
		911मि	0.194
	योग :		2.040हे0

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर	कब्जा देने वाले का हस्ताक्षर
	22/08/2012
नाम :	नाम : गोविन्द प्रसाद
पदनाम : सर्वेयर	पदनाम : भू0अ0 अमीन
दिनांक : 22-8-12	दिनांक :

प्रतिहस्ताक्षरित।

22/08/12
Sachiv

प्रतिहस्ताक्षरित।

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

435

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर।

–: अभिनिर्णय :–

1–	वाद सं0–	1373 / 2006
2–	ग्राम,तप्पा,परगना,तहसील व जिला–	मानवेला,खुटहन,हवेली,सदर व गोरखपुर।
3–	अर्जन निकाय का नाम–	सचिव,गोरखपुर विकास,प्राधिकरण,गोरखपुर।
4–	अध्याप्ति का प्रयोजन–	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि का स्थायी अर्जन।
5–	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षे0–	77.539हे0
6–	क्या भूमि जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है?	हां
7–	क्या धारा–17(1)लागू है ?	हां
8–	धारा–4(1) / 17 की अधिसूचना की संख्या / तिथि	संख्या–4208 / 9–अ–3–2003–7एल0ए0–2003 लखनऊ 22 नवम्बर, 2003
	प्रकाशनः–	
	(क) उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 22.11.03
	(ख) दैनिक आज	दिनांक 30.12.03
	(ग) दैनिक चेतना विचार धारा	दिनांक 30.12.03
	(घ) पब्लिक नोटिस	दिनांक 15.07.04
9–	धारा–6 (1) / 17 की अधिसूचना की संख्या / तिथि	संख्या–5253 / 8–आ–3–2004–07एल0ए0–03 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004
	प्रकाशनः–	
	(क) उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 28.12.04
	(ख) दैनिक गोरखपुर केसरी	दिनांक 04.01.05
	(ग) दैनिक स्वतंत्र चेतना	दिनांक 05.01.05
	(घ) पब्लिक नोटिस	दिनांक 24.02.05
10–	अधिकार हस्तान्तरण का दिनांक–	29.12.05,28.09.06,2202.07 व 16.06.07
11–	अभिनिर्णय का दिनांक–	09.02.2009

12– निर्धारित प्रतिकर–

क.कृषक भूमि का प्रतिकर **(करार नियमावली–1997)**	मु0–3,41,46,340.00
ख.कृषक भूमि का प्रतिकर **(अनिवार्य अर्जन से)**	मु0–7,06,41,464.57
ग.अन्य दर से –	शून्य
घ.सम्पति का प्रतिकर	शून्य
ङ.30%सोलिशियम	मु0–2,11,92,439.37
च.12%अतिरिक्त प्रतिकर	**मु0–1,36,55924.50**
योगः–	13,96,36,168.44
योग पूर्णांकः–	13,96,36,168.00

13–	भूमि अध्याप्ति व्यय–	1,39,63,617.00 रूपया
14–	ब्याज की धनराशि–	1,35,70,057.86 रूपया
15–	पूंजीकृत मूल्य–	2,92,563.00 रूपया

434

–: अभिनिर्णय का औचित्य :–

सचिव,गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जपनद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप से 77. 53हे0 भूमि ग्राम मानबेला तप्पा सूदहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर से अर्जन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जांचोपरांत शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोपरांत अपने आदेश सं0–4208/9–आ–3–2003–07 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 22 नवम्बर, 2003 को धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 22.11.03,दो स्थानीय समाचार पत्र **आज व चेतना** विचार धारा में दिनांक 30.12.03 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 15.07.04 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 15.07.04 को निर्धारित किया गया।

धारा 6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं0–52–53/8–आ–3–2004–07 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 28 दिसम्बर 2004 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 28.12.04, दो समाचार पत्र **"गोरखपुर कैंसरी"** एवं **"स्वतंत्र चेतना"** में दिनांक 05.01.05 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 24.02.05 को करायी गयी। इस प्रकार धारा–6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 24.02.05 निर्धारित किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–7 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करके भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत भूमि की नाप जोख करायी गयी। जिसमें आराजी सं0 573 रकबा 0.069हे0 कब्रिस्तान आराजी सं0 696मि0 रकबा 0.010हे0, 700मि0 रकबा 0.002हे0, 702मि0 रकबा 0.003हे0, 883मि0 रकबा 0.002हे0 कुल रकबा 0. 017हे0 राजस्व अभिलेख में अंकित रकबें से अधिक का गजट पाया गया। जिसको अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया है, तथा विज्ञप्ति के डी नोटिफिकेशन हेतु शासन को पत्र भेज दिया गया। तत्पश्चात धारा–9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 19.04.05 से 21.04.05 तक का समय नियत करके आपत्ति की सुनवायी की गयी।

चूंकि भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–17(1) के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव अध्याप्ति निकाय से प्राप्त हुआ था। इसलिए नियमानुसार अनुमानित प्रतिकर मु0 11,77,843.33 पैसें को 80% 9,42,274.66 पैसा प्रति हे0 के आधार पर सम्बंधित कृषकों को 80% अनुमानित प्रतिकर का भुगतान करते हुए भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:–

दिनांक	**कब्जे में हस्तान्तरित क्षेत्रफल(हे0 में)**
29.12.2005	62.832–5/6हे0
28.09.2006	0.887हे.
22.02.2007	8.509–5/6हे0
16.06.07	0.412हे0

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र एवं अधिक विज्ञप्ति क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भूस्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है। जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित भू–क्षेत्रों के अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं की गयी है और न

ही इसे अभिनिर्णय में शामिल किया गया है। मा0 न्यायालय से सम्बंधित वादों का विवरण निम्नवत है :-

कमांक	वाद संख्या / रिट याचिका सं0 / वि0 अनुज्ञा सं0	न्यायालय का नाम	वादी / प्रतिवादी	प्रभावित गाटा सं0 / क्षेत्रफल हे0 में
1	2	3	4	5
1	64900 / 05	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	श्रीमती सबरूननिंशा बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	678मि0 / 0.028
2	74963 / 05	उपरोक्त	विश्वनाथ बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	911मि0 / 0.194
3	52598 / 06	उपरोक्त	संजय कुमार बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	695मि0 / 0.328
4	वि.अ.या. 17627 / 05	मा0उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली	आनन्द कुमार सिंह व शिव कुमार शर्मा बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	
5	रि.या.सं. 63626 / 05	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	रमेश कुमार गुप्ता व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	715मि0 / 0.372 717मि0 / 0.077 719मि0 / 0.320 720मि0 / 0.462
6	62476 / 05	उपरोक्त	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	707मि0 / 0.731 712मि0 / 0.231 702मि0 / 0.240 716मि0 / 0.644
7	72346 / 05	उपरोक्त	मोहम्मददीन खां व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	554मि0 / 0.167 571मि0 / 0.300
8	64675 / 05	उपरोक्त	हनुमान प्रसाद व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	704मि0 / 0.127
9	68746 / 05 वा0सं0 1014 / 05	उपरोक्त मा0सिविल जज जू. डी. गोरखपुर।	श्रीमती कौशिल्या देवी बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	567मि0 / 0.060
10	वा.सं.651 / 05	मा0सिविल जज जू. डि. गोरखपुर।	ओम प्रकाश बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	गाटा सं0 719 मि0 क्षेत्रफल कमांक 05 पर रिट याचिका सं0 63626 / 05 में शामिल है।

11	,, 324 / 04	उपरोक्त	श्रीमती चम्पा पाण्डेय बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	554मि0—0.022हे0
12.	वि0अ0या0सं0—19004 / 05	मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली	हीरामन बनाम उ0प्र0 सरकार व न्य	678मि0—0.060
13.	,, ,, —18527 / 05	उपरोक्त	रामनयन व अशर्फी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	670मि0 / 0.085 671मि0 / 0.045 673मि0 / 0.059—1 / 3
14	,, ,,—17848 / 05	उपरोक्त	दयाशंकर लाल गुप्ता बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य	675मि0 / 0.259
			सम्पूर्ण योगः—	**4.811—1 / 3**हे0

अधिकार हस्तान्तरण के उपरान्त गाटा सं0 708मि0 रकबा 0.128हे0 व गाटा सं0 697मि0 रकबा 0.300हे0 से सम्बंधित भूस्वामी कमशःश्रीमती सुनीता शर्मा व श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 8390 / 07 व 9691 / 07 दाखिल की गयी है। जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेशों तक कार्यवाही पर स्थगन आदेश पारित किया गया है। अतः अधिकार हस्तान्तरण की गयी कुल 72.641—2 / 3हे0 भूमि में से गाटा सं0 708मि0 रकबा 0.126हे0 व 697मि0 रकबा 0.300हे0 कुल 0.426हे0 भूमि को अलग करके शेष क्षेत्रफल 72.215—2 / 3हे0 पर अभिनिर्णय की कार्यवाही की जा रही है।

धारा—9(1) व 9(3) के आपत्ति सुनवाई की नियत तिथि को अधिग्रहण से प्रभावित कृषकों द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है :—

आ0सं0 679 के कृषक श्री भृगुनाथ मिश्र ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि मा0 न्यायालय अपर आयुक्त गोरखपुर के न्यायालय में निगरानी वाद सं0 552 / 4 भृगुनाथ बनाम राजेश बैगरह अन्तर्गत धारा—33 / 39 एल0ए0 निस्तारण हेतु विचाराधीन है। नियमानुसार विवादित आराजी के सम्बंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार ही प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी।

आ0सं0 568 के काश्तकार सत्यनरायन पुत्र बच्चु लाल आ0सं0 548 व 822,862,863 व 9114 के कृषक श्री शिवकरन पुत्र मक्खन आदि ने भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट 2500 रूपया प्रतिवर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग किया है, परन्तु अपने कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

आ0सं0 700 रकबा 0.198हे0 के कृषक श्री रामचन्दर चौहान द्वारा 50000 रूपया प्रति डि0 की दर से , आा0सं0 691 रकबा 0.455हे0 के कृषक श्री नुरूलहसन द्वारा 25,00,000.00 रूपया प्रति हे0 की दर से प्रतिकर की मांग किया है, परन्तु अपने कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आ0सं0 554 रकबा 0.567हे0 654 रकबा 0.291हे0 आ0सं0 652 को अधिग्रहीत क्षेत्रफल में अपने सजरा के अनुसार प्रतिकर की मांग मोहम्मद्दीन खां ने किया है। इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय है।

श्रीमती सितारूननिंशा, जामील अली आदि द्वारा 0.100हे0 भूमि को अर्जन से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है, नियमानुसार भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। श्री रामवचन पुत्र खुबलाल ने भी अपनी आ0सं0 679 रकबा 1.898हे0 को

451

अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया हैं, भूमि अधिग्रहण से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मोहर्रम अली आदि ने आ0सं0 525 रकबा 0.474हे0 में मकान व पेड़ का विवरण अंकित करके भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने का अनुरोध किया है। आ0सं0 706मि0 के सम्बंध में, जोखू पुत्र सोमई आ0सं0 565 रकबा 0.182हे0 दूबर पुत्र भगवान दास आ0सं0 576 रकबा 1.096हे0 के सम्बंध में श्रीमती इन्द्रावती देवी आ0सं0 824,860,908 के सम्बंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि का अर्जन से मुक्त करने अथवा अर्जन से मुक्त न होने की दशा में 2500.00 रूपया प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग किया गया है।

शिव शंकर पुत्र रामलखन ने आ0सं0 851 रकबा 0.032हे0 आ0सं0 639 रकबा 2.532हे0 में स्थित निर्माण को छोडकर प्रतिकर की मांग किया है। आ0सं0 714 रकबा 0.243हे0 के सम्बंध में भगेलू पुत्र बाढ़ू ने भूमि को अर्जन से मुक्त करने अथवा 50,000.00 प्रति डि0 की दर से प्रतिकर की मांग किया है। भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करना सम्भव नहीं है। प्रतिकर निर्धारण के सम्बंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

आराजी सं0–691 रकबा–0.455हे0 के सम्बन्ध में नुरूल हसन पुत्र रहमतुल्लाह आराजी सं0–772 रकबा–0.163 हे0 के सम्बन्ध में सुल्तान अली, मुमताज अली पुत्रगण सुन्ना, आराजी सं0–547 रकबा–0.040हे0 आराजी सं0–796 रकबा–0.121हे0 आराजी सं0–904 रकबा–0.239, आराजी सं0–568मि0 रकबा–0.482हे0 के सम्बन्ध में रेहानुल्लाह पुत्र स्व0 हौशिलदार खॉ अलग–अलब प्रार्थना पत्र देकर भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–638, 851 के सम्बन्ध में श्री रामबृक्ष मौर्य पुत्र स्व0 महादेव एवं रामअछैवर मौर्य पुत्र स्व0 महादेव ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने का अनुरोध किया है, जो इस स्तर पर विचारणीय नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्री रामकुमार पुत्र मोतीलाल, श्रीमती सोनमती देवी पत्नी मोतीलाल व श्रीराम पुत्र मोतीलाल ने आराजी सं0–673 के सम्बन्ध में मु0–2500/–रू0 प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु इन्होने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया हैं। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–548, 822, 862, 863, 911 के सम्बन्ध में श्रीमती सुगन्धी देवी पत्नी स्व0 जयकरन, शिवसरन पुत्र मक्खन ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग हैं, साथ ही साथ मु0–2500/–प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की भी मांग की है, परन्तु इन लोगों ने कोई साक्ष्य प्रस्ततुत नही किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। मुस्तकीम खॉ, जावेद खॉ, जुनैद खॉ पुत्रगण स्व0 असलम व हदीशुननिशा पत्नी असलम ने आराजी सं0–547, 796, 904, 568 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि वर्तमान बाजारू मूल्य पर मुआवजे की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य दाखिल नही किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री जोगेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव व पुत्रगण रामजीत यादव ने आराजी सं0–576 रकबा–1.096हे0 के सम्बन्ध में अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्री जय राम त्रिपाठी, कटेसर प्रसाद त्रिपाठी ने आराजी सं0–554 को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्रीमती बेचनी देवी पत्नी मदन लाल गुप्ता ने आराजी सं0–570 में रकबा 0.006हे0 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

430

श्री लक्ष्मी प्रसाद पुत्र खूबलाल व बासमती देवी ने आराजी सं0–679 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र. प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी को अर्जन से मुक्त रखा जाय, प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में विक्रय प्रत्र की प्रति दिनांक 28.01.03 व 20–04–04 की छाया प्रति संलग्न किया है। चूंकि इस स्तर पर भूमि को अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त नही की जा सकती है। अतः प्रतिकर के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत सबूतो पर विचार कते हुए प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जायेगी।

आराजी सं0–570 रकबा–0.216हे0 के सम्बन्ध में विजय शर्मा, जितेन्द्र शर्मा पुत्रगण विश्वनाथ शर्मा एवं मुबीहन निशा पत्नी स्व0 समसुद्दीन अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्ततु करत हुए भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नही हैं। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री लक्ष्मण पुत्र दूबर, रामायण, सुवाष, सुखारी पुत्रगण सीताराम पुत्र लालता ने आराजी सं0–865मि0 निर्मल, बीरबल, दुर्बल, रामसरन पुत्रगण कोमल ने आराजी सं0–879 श्रीमती जिलेबा पत्नी फेकु, श्रीमती मेढिया व श्रीमती इसरावती पुत्रीगण फेकु माधव पुत्र सहती ने आराजी सं0–893 व 899 मि0 नन्द किशोर, छोटेलाल पुत्रगण रामप्रसाद, दिनेश, महेश, विनोद पुत्रगण राधेश्याम ने आराजी सं0–853 रामानन्द पुत्र दीपक, ईश्वरचन्द, सुवाष चन्द, उमेश चन्द पुत्रगण लखराज, सुनरा देवी पत्नी लखराज ने आराजी सं0–750 व 910 के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नहीं है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री सुदीश व विजय ने आराजी सं0–864 व 923 के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन लोगो को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। आराजी सं0–704मि0 रकबा–0.254हे0 के सम्बन्ध में श्री झगरू पुत्र रामानन्द व अराजी सं0–755 रकबा–0.821हे0 के सम्बन्ध में शब्बीर हुसैन, शमशीर हुसैन, अफसीर हुसैन, मुशीर हुसैन, तैयब हुसैन, अतहर हुसैन, अल्ताफ हुसैन पुत्रगण इस्मतदार खान, श्रीमती रफीकुन पुत्री नवाब खॉ श्रीमती नन्दरूननिशा पुत्री सहादत खॉ, श्रीमती शकीरा खातून पुत्री शहाबुद्दीन, श्रीमती हफीजुननिशा पुत्री मोहम्मद अली, अकरम हुसैन, अख्तर हुसैन, एजाज हुसैन, आशिक हुसैन, जाविर हुसैन, कैसर हुसैन, मुबिसर हुसैन पुत्रगण सुलेमान खॉ, श्रीमती हाकीमुननिशा पत्नी वासिफ अली, आराजी सं0–651 रकबा–0.101हे0 के सम्बन्ध में श्रीमती लालमती पत्नी रामसमुझ मौर्य ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने अथवा अवमुक्त न होने की दशा में बाजारू दर से प्रतिकर की मांग की है इन लोगों ने अपने प्रार्थना पत्र के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री दशरथ पुत्र गजाधर ने अराजी सं0–576 रकबा–0.75डि0 के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि इनके खाते में इस्माइल का नाम गलत तरीके से अंकित हो गया है जिसके सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर के समक्ष मुकदमा धारा–299बी0 ज0वि0अ0 के अन्तर्गत विचाराधीन है। मुकदमें के निस्तारण तक प्रतिकर को न देने की मांग की है। इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय से कोई स्थगन आदेश दाखिल नही किया गया है। इस लिए प्रतिकर वितरण के सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

आराजी सं0–599 के सम्बन्ध में रामलक्षन, रामकरन पुत्रगण मिठ्ठू व श्रीमती भानमती पत्नी मिठ्ठू व रातबचन पुत्र मिठ्ठू आराजी सं0–570 रकबा–0.08डि0 के सम्बनध में चमरू पुत्र बहादुर आराजी सं0–655 रकबा–0.393हे0 के सम्बन्ध में मो0 यासीन पुत्र रहमतुल्लाह व मुस्तकीन आरजी सं0–656 रकबा 0.506हे0 के सम्बन्ध में हरिवंश पुत्र कालीचरन आराजी सं0–638 रकबा–2.416हे0 के सम्बन्ध में अर्जुन मौर्य पुत्र महादेव मौर्य,

आराजी सं0–676, 668 के सम्बन्ध में वृजराज पुत्र रामसमुझ आराजी सं0–855 रकबा–0.020हे0 के सम्बन्ध में रामअचल पुत्र अशरफी आराजी सं0–667 व 688 के सम्बन्ध में सुरेन्द्र मौर्य पुत्र वृजराम मौर्य आराजी सं0–706 के सम्बन्ध में सम्पत पुत्र झकरी ने अलग–अलग प्रर्थाना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने और मुक्त न होने की दशा में रू0 2500/–प्रति वर्गमी0 की दर से मुआवजे की मांग की है। परन्तु इन लोगों ने अपने कथन की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन लोगो को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी नं0–694 रकबा–0.22डि0 के सम्बन्ध में भग्गन पुत्र भागीरथी, आराजी नं0–890रकबा–0.052हे0 के सम्बन्ध में सीताराम, डेबा पुत्र रामरती ने आरजी सं0–694 रकबा–022डि0 के सम्बन्ध में रामबेलास पुत्र सितालू आराजी सं0–753 रकबा–0. 111हे0 को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में प्रार्थना प्रस्तुत किया है। जो सम्भव नही है अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय है।

श्री दशरथ पुत्र गजाधर ने आराजी सं0–576 के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए 15000/ प्रति डि0 के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन लोगो को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। आराजी सं0–657 के सम्बन्ध में श्री जोखू पुत्र श्री शम्भू , आराजी सं0–870 के सम्बन्ध में अर्जुन पुत्र भगौती, गजानन पुत्र भगौती, सुनील पुत्र भगौती, सुभग पुत्र रामबल, मनकुँवरी पत्नी शनिचर ने अलग7अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वर्ततान बाजारू दर से वाजिब कीमत की मांग की है। परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन लोगो को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–766 रकबा–0.125हे0, 694 रकबा–2.128हे0 के सम्बन्ध में सुल्तान अली व मुल्तान अली पुत्रगण सुन्ना, फुन्नी पुत्र सहतू व रामचन्दर पुत्र सितालू आदि ने आराजी सं0–700 रकबा–0.198हे0 के सम्बन्ध में रामचन्दर चौहान पुत्र रंगीलाल ने प्रार्थाना प्रस्तुत करते हुए रू0 50,000.00/–प्रति डि0 के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है। परन्तु किसी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन लोगो को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0– 701 रकबा–0.17–1/3डि0 के सम्बन्ध में श्री देवनन्दन प्रसाद ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रू0 1450/–प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया अतः इन लोगो को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा। श्री लतीफ पुत्र सोनई ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए आराजी सं0–647 रकबा–0.186हे0 को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है। जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–764 रकबा–0.085हे0 के सम्बन्ध में श्री रामकिशुन पुत्रगण छोटकन, रामराज, हरिराम पुत्रगण जयश्री आराजी सं0–595 के सम्बन्ध में श्री रामनिवास पुत्र रामअवध व सन्तराम पुत्र रामपति व श्रीराम पुत्र रामपति ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है, और मुक्त न होने की दशा में 2500/–प्रति वर्ग मी0 की दर से प्रतिकर की मांग किया है। उन लोगों द्वारा अपने कथन के साक्ष्य में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः इन लोगों को नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–736 रकबा–0.175एअर के सम्बन्ध में मकबुल पुत्र सफी ने रू0 350.00/प्रति वर्गफीट की दर से एवं आराजी सं0–702 रकबा 0.31डि0 के सम्बन्ध में प्रेमशंकर व शिवशंकर, कृपाशंकर ने 1450.00/प्रति वर्गमी0 की दर से मुआवजे की मांग की है परन्तु अपने कथन के साक्ष्य में कोई सबूत दाखिल नही किये है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–546 रकबा–0.591हे0, आराजी सं0–867 रकबा–0.117एअर के सम्बन्ध में श्री बेचन पुत्र बनारसी व रामकेश पुत्र मदनबिहारी द्वारा अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है। जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–678 के सम्बन्ध में महादेव पुत्र बहादुर व माधो पुत्र पुत्तीलाल आराजी सं0–583 के सम्बन्ध में रामबदन पुत्र मिठ्ठू आराजी सं0–599 के सम्बन्ध में रामरतन पुत्र मिठ्ठू व रामनाथ पुत्र मिठ्ठू आराजी सं0–753 के सम्बन्ध में विश्वनाथ पुत्र झगरू आराजी सं0–679 के सम्बन्ध में रामचन्दर पुत्र खूबलाल आराजी सं0–824, 860 व 908 के सम्बन्ध में दूबर पुत्र भगवानदास आराजी सं0–548, 822, 862, 863 व 911 के सम्बन्ध में रामप्रीत पुत्र बुद्धु व झीनक पुत्र बुद्धु आराजी सं0– 867 के सम्बन्ध में पूर्णमासी पुत्र गया ने अलग–अलग आपत्ति प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने व अर्जन से मुक्त न होने की दशा में मु0–20 लाख रू0 प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्रीकृष्ण व सोमई पुत्रगण राहुल, भगौती व पड़ोही पुत्रगण जगदेव ने आराजी सं0–875 व 789, मुहम्मद यासीन ने आराजी सं0–554 सुकरूल्लाह ने आराजी सं0–768 श्री हरिराम ने आराजी सं0–699 श्री सीताराम पुत्र सरन आराजी सं0–666 रघुनाथ पुत्र ओरी ने आराजी सं0–760 श्री झीनक पुत्र ओरी ने आराजी सं0–760 के सम्बन्ध में अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने अथवा रू0 50 हजार प्रति डि0 के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय है।

आराजी सं0–699मि0 के सम्बन्ध में पारसनाथ चौहान पुत्र श्री कतवारू, आराजी सं0–665, 654 के सम्बन्ध में गयासुद्दीन व अलाउद्दीन आराजी सं0– 704,705 के सम्बन्ध में विजय कुमार, विरेन्द्र कुमार, सुरेन्द्र कुमार पुत्रगण रामदुलारे व रामजतन पुत्र लहुरी ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूमि को अर्जन से मुक्त करने की माग की है, जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–748 व 549 के सम्बन्ध में संजय पुत्र रामबली व सॉवर पुत्र गोल्हई व मनोज, सनोज, विनोद पुत्रगण रामनरेश ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र देकर भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने की मांग की है और साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय की मांग की है जो अभी तक प्रस्तुत नही किया गया। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–767 व 855 रकबा–0.117एअर के सम्बन्ध में ओमप्रकाश पुत्र मदन बिहारी व रामकेस पुत्र मदन बिहारी व अच्छेलाल व पुत्र मदन बिहारी ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है जो इस स्तर पर सम्भव नही है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–694 रकबा–2.128हे0 एअर के सम्बन्ध में कन्तराज पुत्र रामलगन ने रू0 25 लाख प्रति एकड़ की दर से, आराजी सं0–865 के सम्बन्ध में सुखारू पुत्र सीताराम ने रू0 2500/–प्रति वर्गमी0 की दर से, आराजी सं0–706मि0 के सम्बन्ध में रामकिशोर पुत्र रामानन्द ने रू0 2500/प्रति वर्गमी0 की दर से, प्रतिकर की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–667, 668 के सम्बन्ध में बुद्धिराम, बलिराम, दयाराम श्यामसुन्दर पुत्रगण त्रिलोकी व त्रिलोकीनाथ रामसमुझ ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रू0 250/–प्रति वर्गफीट की दर से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। अतः इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आराजी सं0–864 व 913 के सम्बन्ध में रामसमुझ उर्फ गुड्डू पुत्र मोलहू आराजी सं0– 855 के सम्बन्ध में पूर्णमासी पुत्र गया आराजी सं0–757 के सम्बन्ध मे बुद्धू

पुत्र काशी, आराजी सं0–864 के सम्बन्ध में सुदर्शन पुत्र रामदेव आराजी सं0–855 के सम्बन्ध में विजय पुत्र रामदेव ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है। जो इस स्तर पर सम्भव नही है। इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय है।

आराजी सं0– 748, 549 के सम्बन्ध में रामनरेश, चाफदबली पुत्रगण रामहरख रामाश्रय व जमुना, छोटेलाल, महेश, बड़े, छोटे, सॉवर, आराजी सं0–759 के सम्बन्ध में महेन्द्र प्रसाद पुत्र शिवदत्त, आराजी सं0– 867 व 855 के सम्बन्ध में सुवाष पुत्र बहरैची, आराजी सं0–704 के सम्बन्ध में रामरती पुत्र बदल, आराजी सं0–554 के सम्बन्ध में श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी इन्दर प्रसाद, आराजी सं0–554, 652, 654 के सम्बन्ध में मोहम्मद्दीन खान पुत्र इब्राहिम, आराजी सं0–567, 754 के सम्बन्ध में निजामुद्दीन पुत्र सफी आराजी सं0–554 के सम्बन्ध में असरफी देवी पत्नी गोरख राम यादव द्वारा अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए सबूत दाखिल करने हेतु समय की मांग की है। जो अभी तक दाखिल नही किया गया है।

आराजी सं0–768 के सम्बन्ध में हमीदुल्लाह पुत्र सकुल व नसीउल्लाह पुत्र सकुल, आराजी सं0–758 के सम्बन्ध में अतवारी पत्नी रामदेव आराजी सं0–694 के सम्बन्ध में भग्गन पुत्र सितालु, आराजी सं0–567, 754, 909 के सम्बन्ध में नुरूल्लाह, ऐनुल्लाह, नईमुल्लाह पुत्रगण मजीद व निजामुद्दीन पुत्र सफी आराजी सं0–794, 876, 878 व 880 के सम्बन्ध में मन्ता पुत्र बनारसी आरजी सं0–768 के सम्बन्ध में सनाउल्लाह, नशीबुल्लाह, पुत्रगण सद्दीक आराजी सं0–794, 876, 878, 880 के सम्बन्ध में श्रीमती मन्तोरा देवी पत्नी सन्तराज ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र देकर भूमि को अर्जन से मुक्त करने अथवा अर्जन से मुक्त न होने की दशा में 20 लाख प्रति एकड़ की दर से मुआवजे की मांग की है परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इन्हे नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री रफीक पुत्र हसन ने आराजी सं0–567, 754, 909 का 1/3 भाग के सम्बन्ध में 36लाख 30 हजार प्रति एकड़ मुहम्मद शेरजमा खान मुहम्मद हासीन खान अब्दुल क्यूम खॉ मकदुन बक्श खॉ बरकत उल्लाह खॉ व अब्दुल्ला खॉ पुत्रगण कासिम खॉ ने आराजी सं0–547मि0 के सम्बन्ध में रू0 20 लाख 51 हजार प्रति एकड़ की मु0 शेरजमा खॉ पुत्र कासिम खॉ आराजी सं0–900मि0 के रू0 36 लाख 30 हजार प्रति एकड़ तथा इसी आराजी के सम्बन्ध में अब्दुल क्यूतम खॉ, मकदुम बक्श खॉ, बरकतउल्लाह खॉ, मो0 हासिम खॉ, अब्दुल्लाह खॉ ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए 36 लाख 30 हजार प्रति एकड़ की दर से प्रतिकर की मांग की है। इन सभी आपत्ति कर्ताओं द्वारा अपने प्रार्थना पत्रके पक्ष में ग्राम में निस्पादित 8 विक्रय पत्रों की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गयी है जो परिशिष्ट 1 पर अंकित है। इस पर आगे चलकर विचार किया जायेगा।

श्री विजय कुमार मिश्र, बुद्धिसागर मिश्र, बेदप्रकश मिश्र, अमरचन्द मिश्र, अवधेश मिश्र, अनिल कुमार मिश्र ने आराजी सं0–589 रकबा–0.07डि0 के सम्बन्ध में रू0 50,000.00/–प्रति डि0 की दर से प्रकिर की माग की है। साक्ष्य स्वरूप इनके द्वारा दो बैनामे की छाया प्रति दी गयी है जो परिशिष्ट 1 पर अंकित है जिन पर आगे चलकर विचार किया जायेगा।

आराजी सं0–708 रकबा–0.063डि0 के सम्बन्ध में श्रीराम उजागिर शुक्ला पुत्र दशरथ शुक्ला ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए 1450/–प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग की है, परन्तु कथन के पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इसी आराजी के सम्बन्ध में विन्ध्याचल दीक्षित पुत्र देवराज दीक्षित द्वारा भी आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रू0 1450/–प्रति वर्गमी0 की दर से प्रतिकर की मांग की है जो व्यवहारिक नहीं है। अतः इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

आ0सं0 759 रकबा 0.133हे0 के सम्बंध रामआधारे पुत्र रामदत्त द्वारा रूपया 20,54,000.00प्रतिएकड की दर से मुआवजें की मांग की गयी है। परन्तु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन्हें नियमानुसार प्रतिकर देय होगा।

श्री रिजवानुल्लाह खां पुत्र स्व0 हौलिसदार खां ने आ0 सं0 568,796,904 व 547 रकबा 0.862हे0 के सम्बंध में आपत्ति प्रस्तुत करते हुए रूपया 3630000.00 एकड के हिसाब से प्रतिकर की मांग की है। आपत्ति कर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ आठ विक्रय पत्रों की छाया प्रतियां भी संलग्न किया गया है। जिसका विवरण परिशिष्ट एक पर अंकित है। इन पर आगे चल कर विचार किया जायेगा।

आ0सं0 573 रकबा 0.069हे0 के सम्बंध में श्री साहिद अली उपाध्यक्ष मुस्लिम घोसी एसोशियेसन गोरखपुर एवं मो0 अली सक्रेटेरी मुस्लिम घोसी एसोशियेसन गोरखपुर द्वारा दिनांक 20.04.05 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की है कि उक्त आराजी सर्व श्री साहिद अली, कलाम अली, ताजिर अली, रूस्तम अली, इश्हाक, बट्टू दिलजान, लतिफ, मुन्ना, वलीमोहम्मद, खैरूनिंशा, कोमल, शमीउल्लाह, सुन्ना, फुन्नी, जोगी, गिरधारी, रोसा, शैफू, मिठ्ठू, अजीमुल्लाह, मो0 हनीफ, इब्राहिम, महंगू, इद्रीश, जामिनअली, सदेरे, आलम एवं अमीन अली का परिवारिक कब्रिस्तान है। इसे अर्जन से मुक्त किया जाये। इसी आराजी के सम्बंध में सुल्तान अली मुम्ताज अली पुत्रगण सुन्ना फुन्नी पुत्र सहतू ताजिर अली व उत्तम अली ने अलग अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उक्त आराजी को अर्जन से मुक्त करने की मांग की है। प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप खसरा खतौनी फसली सन् 1411 का इन्तखाब प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बंध में सम्बंधित भूमि अर्जन अमीन से मौके की जांच करायी गयी जिसमें इनको कथन सत्य पाया गया। सम्बंधित अमीन द्वारा की गयी जांच की पुष्टि मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा तहसीलदार सदर गोरखपुर क्षेत्रीय नायबतहसीलदार एवं ग्राम लेखपाल द्वारा करायी गयी। जिनकी आख्या के अनुसार उक्त आराजी मौके कब्रगाह के रूप में इस्तेमाल किया जाना बताया गया। उक्त आराजी के डी नोटिफिकेशन के सम्बंध मे शासन को अलग से पत्राचार किया गया है, तथा अध्याप्ति निकाय यानि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को अवगत कराया जा चुका है। सम्प्रादायिक सौहार्द एवं धार्मिक आस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए उक्त आराजी का कब्जा गोरखपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। शासन से निर्देश प्राप्त होने पर इस आराजी के सम्बंध में अलग से विचार किया जायेगा। इस आराजी को अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कतिपय कृषकों द्वारा मा0 न्यायालय में वाद भूमि को अधिग्रहण से मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसका निस्तारण मा0 न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। विवरण निम्नवत है :–

क. सं.	याचिका सं0	पक्षकार का नाम	प्रभावित गाटा सं0 / क्षेत्रफल हे0	निर्णय का दिनांक
1	2	3	4	5
1	25912 / 05	डॉ0कैलाशपति द्विवेदी बनाम उ0प्र0सरकार	748मि0 / 0.412हे0	5.04.2005 व 10.04.2007
2	68358 / 05	अशर्फी देवी बनाम उ0प्र0सरकार	554 / 0.05–1 / 2	27.10.05
3	78651 / 05	रामजान खां बनाम उ0प्र0सरकार	883मि0 / 0.38डि0	22.11.05
4	74228 / 05	शाहिद अली बनाम उ0प्र0सरकार	846 591 592 0.800हे. का 1 / 3 भाग	06.12.05
5	36581 / 05	रामजीत बनाम उ0प्र0सरकार	695 / 0.328हे0	06.05.05

6	35775 / 05	बलराम जी मिश्र बनाम उ0प्र0सरकार	883मि0 / 0.130हे0	23.05.05
7	72131 / 05	शलामत बनाम उ0प्र0सरकार	644 / 0.440हे0 726 / 0.057हे0	24.11.05
8	72739 / 05	बैलास आदि बनाम उ0प्र0सरकार	746 / 0.224हे0	28.11.05
9	71691 / 05	सरस्वती देवी बनाम उ0प्र0सरकार	554 / 3079वर्गमी.	22.11.05
10	71691 / 05	याकिन अली बनाम उ0प्र0सरकार	570मि0 / 0.22हे0	22.11.05
11	68802 / 05	मदिना खातून बनाम उ0प्र0सरकार जोगी पुत्र फुलारी,सैफू,मिठ्ठू,अजी मुल्लाह बैगरह	563 / 0.35हे0 732 / 0.436हे0	28.11.05
12	32927 / 05	कैलाश आदि बनाम उ0प्र0सरकार	588 / 0.927हे0 858 / 0.388हे0	26.07.05
13	35164 / 05	रामचन्दर यादव बनाम उ0प्र0सरकार	651 / 0.20हे0	23.05.05
14	69993 / 05	कोमल बनाम उ0प्र0सरकार	727 / 0.158हे0 का 1 / 2 भाग	11.11.05
15	31410 / 05	जफरूद्दीन बनाम उ0प्र0सरकार	733 / 0.56हे0 651 / 0.10हे0	26.07.05
16	2739 / 05	चन्द्रभान सिंह बनाम उ0प्र0सरकार	753 / 0.202हे0	28.11.05
17	35775 / 05	चॉद मोहम्मद बनाम उ0प्र0सरकार	553 / 0134हे0	23.05.05
18	73767 / 05	झकरी बनाम उ0प्र0सरकार	598 / 0.162हे0 601 / 0.144हे0	02.12.05
19	68339 / 05	जीमल अहमद बनाम उ0प्र0सरकार	697 / 0.300हे0	27.10.05
20	61716 / 05	गीता नायक पत्नी अनिल कुमार व रामनरायन पुत्र राम अधार इशा आनन्द व नेहा आनन्द बनाम उ0प्र0सरकार	639 / 0.243हे0 871 / 0.036हे0	19.09.05 19.09.05
21	70668 / 05	महमूद अली बनाम उ0प्र0सरकार	570मि0 / 0.409हे0 का 1 / 3 भाग	16.11.05
22	78644 / 05	मकबूल बनाम उ0प्र0सरकार	736 / 0.175हे0	2.01.06

23	37297 / 05	नजीरूल्लाह आदि बनाम उ0प्र0सरकार	649 / 0.527हे0 855 / 0.008हे0 899 / 0.004हे0	23.05.05
24	30278 / 05	राम अचल शर्मा बनाम उ0प्र0सरकार	696 / 0.178हे0	21.07.05
25	78644 / 05	उग्रसेन सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार साजमा खातून बनाम उ0प्र0सरकार	568 / 0.048हे0 732 / 0.10डि0	02.01.06
26	37185 / 05	रहमतुल्लाह बनाम उ0प्र0सरकार	733 / 0.247हे0	23.05.05
27	32945 / 05	शान्तीदेवी बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य	639 / 0.240हे0 653 / 0.14डि0	26.07.05

उपरोक्त सन्दर्भित याचिकाओं में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचीकर्ताओं को अपना प्रत्यावेदन प्रमुख सचिव,आवास एवं शहरी नियोजन, अनुभाग–3, उ0प्र0शासन लखनऊ के यहां प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित किया गया है। शासन द्वारा भूमि को अधिग्रहण से मुक्त न करने का निर्णय लेते हुए याचिका कर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

–: अर्जनाधीन **भूमि के प्रतिकर का निर्धारण** :–

अध्याप्ति की गयी भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1) के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 15.07.04 से 3 वर्ष पूर्व तक के विक्रय पत्रों का संकलन उपनिबन्धक कार्यालय गोरखपुर से कराया गया। जिसमें कुल 68 विक्रय पत्र प्राप्त हुए जिनका विवरण परिशिष्ट–2 पर अंकित है। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करते समय प्रभावित भूस्वामियों द्वारा कुल 11 विक्रय पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनका विवरण परिशिष्ट–1 पर हैं।

परिशिष्ट–1 पर अंकित विक्रय पत्र प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा अविकसित भूमि को आवासीय भूमि के रूप में विकसित करके अति उच्च दर पर प्लाटिंग करने के उपरांत निष्पादित किये गये है। जिनकी दरों को प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन करना व्यवहारिक व न्यायसंगत नही होगा। अतएव परिशिष्ट–2 के विक्रय पत्रों पर प्रतिनिधि विक्रय पत्र के चयन हेतु विचार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है।

विक्रय पत्र सं0 1,9,12,18,19,20,25,45,51,52,55 व 61 के विक्रय पत्र मेडिकल कालेज गोरखपुर से उर्वरक कारखान गोरखपुर को जोडने वाले सडक से उत्तर तरफ स्थित है, और अधिग्रहण की जा रही भूमि इस सडक से विपरीत दिशा अर्थात दक्षिण स्थित है। यह सभी विक्रय पत्र अधिग्रहीत की जा रही भूमि के समान एवं समकक्ष नहीं है। अतः इन बैनामों से किसी भी विक्रय पत्र को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नहीं होगा।

विक्रय पत्र सं0 53,60,63,66 व 67 के विक्रय पत्र मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर कारखाना को जोडनें वाली सडक के बिल्कुल सटे उत्तर तरफ व्यवसायिक उद्देश्य से विक्रय किये गये है, जो अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के समान एवं समकक्ष नहीं है। अतः इन विक्रय पत्रों की दरों पर अधिग्रहीत की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु विचार किया जाना उपयुक्त नहीं है।

विकय पत्र सं0 2,16 व 59 के विक्रय पत्र बहुत कम क्षेत्रफल के एवं आवासीय उद्देश्य से अति उच्च दर पर निष्पादित किये गये है एवं विक्रय पत्र सं0 4 व 50 के विकय पत्र कर्ज की अदायगी हेतु बिला मोल भाव किये ही निष्पादित किये गये प्रतीत होते है। ये सभी विकय पत्र अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता नहीं रखतें है।

विकय पत्र सं0 5,6,17,42,47 व 57 के विक्रय पत्र अधिग्रहित की जा रही भूमि के बगल एवं ग्राम–मानवेला ही पीरू शहीद टोला एवं फर्टिलाइजर बाउन्ड्री के पूरब तरफ अबादी के मध्या स्थित है। ये सभी विक्रय पत्र भी अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता नही रखते है। अतः इन विक्रय पत्रों को भी प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उपयुक्त नही है।

विकय पत्र सं0–7,10,15,22,24,26,27,29,32,33,34,35,36,37,39,46,54,56,58 व 65 के विक्रय पत्र गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा प्राइवेट कालोनाइजरो के लिए अर्जन से मुक्त रखे गये अति विकसित क्षेत्र से सम्बन्धित है। इनका निष्पादन भूमि का प्लाट विकसित करने के उपरान्त प्लाटिंग करके अति उच्च दरो पर किये गयें है। अतः ये सभी विक्रय पत्र अर्जित की जा रही भूमि के लिए व्यवहारिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व की क्षमता नही रखते है।

विकय पत्र सं0–3 व 28 आराजी सं0–56 जो अधिग्रहण के अन्दर स्थित है का विक्रय बाजार भाव के अनुरूप फर्टिलाइजर को जाने वाली सडक से मानवेला ग्राम को जोडने वाली सड़क से पश्चिम तरफ विक्रय किया गया है। भिन्न–भिन्न तिथियों में अलग–अलग दरो पर निष्पादित किया गया है। जिनमें काफी असमानता है। अतः इन विक्रय पत्रों को प्रतिकर निर्धारण के लिए चयन किया जाना उपयुक्त, व्यावहारिक एवं न्यायसंगत नही है।

विकय पत्र सं0–8,31,48 व 68 मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर मार्ग से सटे दक्षिण तरफ अत्यन्त कम क्षेत्रफल के व्यावसायिक व दुकान बनाने के उद्देश्य से अति उच्च दर पर किये गये है जिन पर प्रतिकर निर्धारण हेतु विचार किया जाना व्यवहारिक एवं न्यायसंगत नही होगा।

विकय पत्र सं0–11 व 62 आराजी सं0–719 क्षेत्रफल 2400वर्गफीट व 4800 वर्गफीट के विक्रय किये गये है। ये दोनो विक्रय पत्र क्रेताओं द्वारा क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर से अधिक भुगतान करके आवास बनने के उद्देश्य से क्रय किये गये है। अतः ये विक्रय पत्र भी अधिग्रहण की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए उपयुक्त नही है।

विकय पत्र सं0–13 मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर मार्ग से सटे दक्षिण तरफ व्यावसायिक/आवासीय उद्देश्य से अति उच्च दर प्राप्त करके निष्पादित किया गया है। जो अधिग्रहित की जा रही भूमि के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता नही रखता है।

विकय पत्र सं0–14 अधिग्रहण क्षेत्र के लगभग मध्य में स्थित है। यह विक्रय पत्र कर्ज की अदायगी हेतु विक्रेता द्वारा क्रेता को बाजार दर से कम धनराशि का भुगतान करके निष्पादित किया गया है। अतः इस विक्रय पत्र की दर पर भी अधिग्रहित की जा रही भूमि के मूल्यांकन हेतु विचार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नही है।

विकय पत्र सं0–21 व 23 अत्यन्त कम क्षेत्रफल मकान बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र में प्रचलित बाजार दर से अधिक भुगतान करके क्रेता व विक्रेता के मध्य निष्पादित किये गये है। ये दोना विक्रय पत्र भी अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता नही रखतें है।

विक्रय पत्र सं0 30 यह विक्रय पत्र कृषि कार्य के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक दर प्राप्त करके निष्पादित किया गया है। जिसका प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व विक्रय पत्र के रूप में चयन किया जाना उचित नही है।

विक्रय पत्र सं0–40 आबादी के निकट प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च दर प्राप्त करके निष्पादित किया गया है जो अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता नही रखता है।

विक्रय पत्र सं0–41, 49 एक ही आराजी का विक्रय पूर्ण रूप से विकसित क्षेत्र में आवास बनाने के उद्देश्य से प्राइवेट कालोनाइजर द्वारा उच्च दर प्राप्त करके निष्पादिरत किये गयें है। इन बैनामो द्वारा प्रदर्शित दर भी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए चयन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत नही है।

विक्रय पत्र सं0–43, व 44 अधिग्रहण क्षेत्र के अन्दर स्थित है इनका निष्पादन प्रतिस्पर्धा के कारण अधिक मूल्य प्राप्त करके किया गया है। ये दोनो विक्रय पत्र भी अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए प्रतिनिधित्व की क्षमता नही रखतें है।

विक्रय पत्र सं0–64 यह विक्रय पत्र आराजी सं0–876 क्षेत्रफल 0.450हे0 भूमि का विक्रेता को रू0 4 लाख भुगतान करके खरीदा गया है यह विक्रय पत्र विक्रेता द्वारा कर्ज की अदायगी एवं मकान बनाने के उद्देश्य से विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र में प्रचलित बाजार भाव कम दर प्राप्त करके बेचा गया प्रतित होता है। यह विक्रय पत्र भी अधिक क्षेत्रफल एव अधिग्रहण क्षेत्र के अन्दर स्थित होते हुए भी अर्जित की जा रही भूमि के प्रतिकर निर्धारण के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है।

तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात विक्रय पत्र सं0–1 से 37 तथा 39 से 68 तक के विक्रय पत्रों को विभिन्न कारणों से प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन किये जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त पाया गया।

विक्रय पत्र सं0–38 यह विक्रय पत्र अधिग्रहीत क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग मध्य में स्थित है। इसका निष्पादन सामान्य परिस्थितियों में उचित मोल भाव करके किया गया है जो क्षेत्रीय बाजारू भाव के अनुरूप है। यह विक्रय पत्र अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि के लिए प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रतिनिधित्व की क्षमता रखता है।

सम्यक् विचारोपरान्त मेरे द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बडे क्षेत्रफल का विक्रय पत्र है, तथा परिशिष्ट दो में उपलब्ध समस्त विक्रय पत्रो मे से क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा बैनामा है। ये विक्रय पत्र श्री शंकर पुत्र लखन द्वारा दिनांक 20.06.03 को आराजी सं0–639 रकबा–0.243हे0 यानि 60 डि0 भूमि का रू0 2,86,000.00/–में श्रीमती गीता नायक पत्नी अनिल कुमार नायक व रामनरायन पुत्र स्व0 रामअधार नायकके पक्ष में विक्रय किया गया है। यह विक्रय पत्र रू0 11,76,954.73 प्रति हे0 की दर प्रदर्शित करता है जो अधिग्रहीत भूमि के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है।

अतः प्रतिकर निर्धारण के लिए विक्रय पत्र सं0–38 को प्रतिनिधि विक्रय पत्र के रूप में चयन करता हूँ।

स्थिति एवं उपयोगिता की दृष्टि से अर्जित की जाने वाली भूमि गोरखपुर मेडिकल कालेज से फर्टिलाइजर जाने वाली सडक से दक्षिण तरफ स्थित है इसके मध्य में मानवेला की पुरानी आबादी, पूरब में ग्राम–फत्तेपुर में इसी योजना के अन्तर्गत अलग से अर्जित की जा रही भूमि एवं प्राइवेट कालोनाइजरों द्वारा इन्द्रप्रस्थ कालोनी एवं शिवम सहकारी आवास समिति के विकसित भूखण्ड एवं कालोनिया स्थित है दक्षिण तरफ ग्राम–हमीदपुर की पुरानी आबादी एवं ग्राम–पोखरभिण्डा उर्फ करीम नगर में इसी योजना हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि स्थित है। इसके दक्षिण में भी गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा विकसित राप्तीनगर आवासीय योजना फेज–4 एवं रेल बिहारी कालोनी स्थित है। अधिग्रहीत भूमि के पश्चिम तरफ मानवेला का ही टोला पीरू शहीद की पुरानी आबादी एव फर्टिलाइजर कारखाने की बाउन्ड्री स्थित है।

अतः अर्जित की जा रही समस्त भूमि का प्रतिकर निर्धारण स्थित एवं उपयोगिता एक समान होने के कारण प्रतिनिधि विक्रय पत्र क्रमांक–38 की दर रू0 11,76,954.73 प्रति हे0 की दर से एक समान दर से निर्धारित किया जाना उचित एवं

न्यायसंगत है। अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित रकबा–77.539हे0 भूमि में से रकबा–62.832/5/6 हे0 भूमि का अधिकार दिनांक 29.12.05 को 0.887हे0 भूमि का अधिकार दिनांक 28.09.06 को 8.509–5/6हे0 भूमि का अधिकार दिनांक 22.02.07 को एवं 0.412हे0 भूमि का अधिकार दिनाक 16.06.07 को कुल 72.641–2/3हे0 भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय यानि गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को हस्तान्तरित किया गया। शेष भूमि का कब्जा विभिन्न कारणो हस्तान्तरित नही किया गया जिसका विवरण पूर्व में आ चुका हैं। अधिकार हस्तान्तरित की गयी कुल 72.641–2/3हे0 भूमि में 0.426हे0 भूमि पर पुनः प्रस्तावित भू–स्वामियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कर अग्रिम आदेशो तक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है जिस पर फिलहाल मा0 न्यायालय के अग्रिम आदेश तक प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही नही की जायेगी जिसका विवरण पूर्व में आ चुका है। कब्जे में हस्तगत भूमि पर छिटपुट बृक्ष पाये गये जिन को सम्बन्धित भू–स्वामियों ने स्वतः काट लेने की इच्छा व्यक्त की है जिसकी अनुमति इन्हे दे दी गयी। अतः इनका प्रतिकर देय नही होगा। इसके अतिरिक्त कब्जा ली गयी भूमि पर छिटपुट निमार्ण टिन शेड व बाउन्ड्रीवाल का निर्माण पाया गया जो धारा–4(1) के विज्ञप्ति के प्रकाशन के बाद भूमि को अधिग्रहण से बचाने के उद्दश्य से किया गया है जो अवैध है। इनका भी कोई प्रतिकर सम्बन्धित व्यक्तियों को देय नही होगा। सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा देते समय इसका मलवा आदि उठा लेने की अनुमति दे दी गयी है।

अधिग्रहीत की गयी भूमि के क्षेत्रफल 12.1951214हे0 के प्रतिकर निर्धारण एवं वितरण की कार्यवाही उ0प्र0 करार नियमावली–1997 के अन्तर्गत मु0 28,00,000.00 रूपया प्रति हे0 का दर निर्धारित करके मु0 3,41,46,340.00 को भुगतान सम्बंधित कृषको को किया जा चुका है।

अनिवार्य भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रफल 60.0205452हे0 भूमि का प्रतिकर मु0 11,76,954.73 रूपया प्रति हे0 की दर से निर्धारित किया जाता है। जिसका प्रतिकर मु0 7,06,41,464.57 पैसा, 30% सोलेशियम मु0 2,11,92,439.37 पैसा व अतिरिक्त प्रतिकर 1,36,55,929.50 पैसा कुल योग 10,54,89,828.44 पैसा आता है। उक्त प्रगणित धनराशि के पूर्व निर्धारित/वितरित 80% अनुमानित प्रतिकर को धटा कर नियमानुसार ब्याज की गणना की जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित प्रतिकर का विवरण निम्नवत है :–

अधिकार दिनांक 19.12.05 का विवरण :–

अर्जित क्षे0 हे0	दर प्रति हे0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग
51.9012119	11,76,954.73	6,10,85,376.84	1,83,25,613.05	1,06,84,083.43	9,00,95,073.32

ब्याज की गणना :–

अधिकार हस्तान्तरण दिनांक 29.12.05 से 28.12.06 तक 365 दिन 9% प्रति वर्ष की दर से दिनांक 29.12.06 से 09.02.09 तक 773 दिन का 15% की दर से –

प्रतिकर + 30% सोलेशियम रू0 :–	**7,94,10,989.89 पैसा**
80% अनुमानित प्रतिकर रू0 :–	**4,89,05,196.80 पैसा**
अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है –	**3,05,05,793.09 पैसा**
ब्याज 9% की दर से रू0 –	27,45,521.38पैसा
ब्याज 15% की दर से रू0 –	96,90,812.90पैसा
योग :– रूपया –	01,24,36,334.28पैसा

अधिकार दिनांक 28.09.06:–

अर्जित क्षे0 हे0	दर प्रति हे0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग
0.3355	11,76,954.73	3,94,868.31	1,18,460.49	1,04,504.87	6,17,833.67

ब्याज की गणना :–

दिनांक 28.09.06 से 27.09.07 तक 365 दिन 9% की दर से । दिनांक 28.09.07 से 09.02.09 तक 500दिन 15% की दर से ।

प्रतिकर + 30% सोलेशियम रू0 :– 5,13,328.80 पैसा
80% अनुमानित प्रतिकर रू0 :– 3,16,133.14 पैसा

अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है :– 1,97,195.66 पैसा

ब्याज 9% की दर से रू0 – 17,747.61
ब्याज 15% की दर से रू0 – 40,519.66
योग :– 58,267.27

अधिकार दिनांक 22.02.07

अर्जित क्षे0 हे0	दर प्रति हे0	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग
7.7838333	11,76,954.73	91,61,219.42	27,48,365.83	28,67,336.18	1,47,76,921.43

ब्याज की गणना :–

दिनांक 22.02.07 से 21.02.08 तक 365 दिन 9% की दर से । दिनांक 22.02.08 से 09.02.09 तक 353 दिन 15% की दर से ।

प्रतिकर + 30% सोलेशियम रू0 :– 1,19,09,585.25 पैसा
80% अनुमानित प्रतिकर रू0 :– 73,34,508.88 पैसा

अवशेष प्रतिकर जिस पर ब्याज देय है :– 45,75,076.37 पैसा

ब्याज 9% की दर से रू0 – 4,11,756.87
ब्याज 15% की दर से रू0 – 6,63,699.44
योग :– 10,75,456.31

निर्धारित ब्याज पर आयकर की कटौती नियमानुसार प्रतिकर वितरण के समय करते हुए सम्बधित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः उपरोक्त निर्धारित दर के अनुसार ग्राम मानवेला में अर्जित कुल क्षेत्रुफल 72.215–2/3हे0 (करार एवं अनिवार्य अर्जन) का प्रतिकर मु07,06,41,464.57 रू0 30% सोलेशियम मु0 2,11,92,439.37रूपया 12% अतिरिक्त प्रतिकर मु0 1,36,55,924.50 रू0 योग (अनिवार्य अर्जन)10,54,89,828.44 एवं करार नियमावली 1997 के तहत एक मुस्त

धनराशि मु0 3,41,46,340.00 कुल योग मु0 13,96,36,168.44 पूर्णांक में 13,96,36,168.00 रूपया निर्धारित करता हूँ।

अध्याप्ति व्यय :– प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु0 13,96,36,168.00 रू0 10% की दर से मु0 1,39,63,617.00 रूपया अध्याप्ति निकाय से वसूल कर राजस्व खाते में जमा किया जायेगा।

पूंजीकृत मूल्य :– अर्जित भूमि के राजस्व रूपया 1950.42 का 150 गुना रू0 2,92,563.00 राज्य सरकार के राजस्व खाते में क्षतिपूर्ति हेतु अध्याप्ति निकाय से वसूल कर जमा किया जायेगा।

अतः मैं ग्राम मानवेला तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर को सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 72.215–2/3हे0 भूमि (करार + अनिवार्य) का प्रतिकर 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर मु0 13,96,36,168.00 रूपया का अभिनिर्णय करता हूँ। अभिनिर्णित धनराशि में से पूर्व में वितरित 80% अनुमानित अग्रिम प्रतिकर को घटाने के पश्चात प्रतिकर + 30% प्रतिफल पर नियमानुसार ब्याज देय है। निर्धारित ब्याज की धनराशि में से नियमानुसार आयकर की कटौती प्रतिकर वितरण के समय करके सम्बंधित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण भू अर्जन प्रपत्र 11 व अनुसूची 3 में अंकित है, जो इस अभिनिर्णय का अंग होगा।

अतः आज दिनांक 09.02.09 को अभिनिर्णय घोषित करते हुए अर्जन से प्रभावित कृषकों को पढ़ कर सुनाया गया तथा पूर्ण रूप से निर्धारित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

स्थान :– गोरखपुर।
दिनांक :– 09.02.09

(राम अभिलाष)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0)गोरखपुर।

उद्घोषित
9.2.09
S.L.A.O
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं० सं०) गोरखपुर

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(संयुक्त संगठन) गोरखपुर

अधिकार-पत्र

1. परियोजना का नाम — [illegible]
2. ग्राम का नाम, तहसील एवं जिला — [illegible], तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर
3. [illegible] गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
4. [illegible] के अन्तर्गत आवासीय कालोनी का निर्माण।
5. धारा 4(1)/17 की विज्ञप्ति तिथि — 15.7.04
6. धारा 6(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि — 24.2.05
7. कब्जा परिवर्तन की तिथि — 16/6/07
8. कब्जा देने वाले का नाम — [illegible] अली

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन) गोरखपुर

[illegible] विभाग/संस्था [illegible]

अनुसूची

ग्राम का नाम	खसरा नं०	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे० में)
[illegible]	7- [illegible]	0-412

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम — [illegible]
पद नाम — [illegible] अधिकारी
दिनांक — 16/6/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम — [illegible] अली
पद नाम — अमीन
दिनांक — 16-6-07

प्रति हस्ताक्षरित

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
(संयुक्त संगठन) गोरखपुर

प्रति हस्ताक्षरित
[illegible]
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर

(164)

कार्यालय [illegible] भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर

अधिकार पत्र

1. [illegible] ग्राम का नाम – [illegible]।
2. [illegible] तहसील एवं [illegible] परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर।
3. [illegible] निकाय का नाम – [illegible]रखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
4. [illegible] का नाम – [illegible] विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी का निर्माण।
5. [illegible] 4(1)/17 की [illegible] की तिथि – 15.07.04
6. [illegible] 6(1)/17 की [illegible] की तिथि – 24.02.05
7. [illegible] की तिथि – 22[illegible]
8. [illegible] देने वाले का नाम – [illegible]मद अली

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

ग्राम [illegible], परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर के 77.539 [illegible] अर्जन [illegible] भूमि [illegible] ⅙ [illegible] भूमि का कब्जा कर, गोरखपुर वि[illegible]स प्राधिकरण, [illegible]पुर को जिसका विवरण नीचे अंकित है का कब्जा हस्तान्तरण कि[illegible] गया।

खसरा नं0	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल [illegible]	परिसम्पत्तियों का विवरण
5[illegible]3/1	0.1[illegible]4	
554 मि0	0.022	
554 मि0	0.012	
55[illegible] मि0	0.277	
56[illegible] मि0	0.019	
56[illegible] मि0	0.329	
570 मि0	0.144	
588 मि0	0.927	
591	0.040	
59[illegible] मि0	0.162	
601 मि0	0.14[illegible]	
6[illegible] मि0	0.48[illegible]	
644 मि0	0.440	
[illegible] मि0	0.121	
[illegible]	0.056 [illegible]	
[illegible] मि0	0.326	
69[illegible] मि0	0.100	
696 [illegible]	0.0[illegible]	
696 मि0	0.0[illegible]	
696 मि0	0.160	
696 मि0	0.10[illegible]	
696 मि0	0.176	
696 मि0	0.121	
697 मि0	0.300	
697 मि0	0.300	

709 मी०	0.126
726	0.057
732 मी०	0.484
733 मी०	0.147
733 मी०	0.247
748	0.454
753 मी०	0.202
846 मी०	0.266 1/3
855	0.388
871	0.336
873	0.449
883 मी०	0.128
[illegible] मी०	0.154
योग	3.509 5/6

टिप्पणी–

1. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रत्यावेदन पर शासन स्तर से कार्यवाही की जा रही है। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ही अधिकार हस्तान्तरण मान्य होंगे ।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम– [illegible]
पदनाम– [illegible]
दिनांक– 24/2/07

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम– मोहम्मद अली
पदनाम– [illegible]
दिनांक– 24.02.07

प्रतिहस्ताक्षरित

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण,
गोरखपुर

प्रतिहस्ताक्षरित
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

266
379
372

कार्यालय-विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, गोरखपुर ।

अधिकार-पत्र

1- राजस्व ग्राम का नाम- मानबेला ।

2- परगना, तहसील एवं जिला- हवेली, सदर, गोरखपुर ।

3- अर्जन निकाय का नाम- गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर ।

4- योजना का नाम- जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजनान्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु ।

5- धारा-4(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि- 15-07-2004

6- धारा-6(1)/17 की विज्ञप्ति की तिथि- 24-02-2005

7- कब्जा परिवर्तन की तिथि- 29-12-2005

8- कब्जा देने वाले का नाम- मुहम्मद अली

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोरखपुर ।

भूमि का विवरण जिसपर कब्जा कर अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को सौंप दिया गया ।

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	खसरा सं0	अर्जित किया जाने वाले क्षेत्रफल हेक्टेयर में।

विवरण पीछे अंकित है ।

कब्जा लेने वाले के हस्ताक्षर
नाम- अरविन्द कुमार सिंह
पदनाम- सहायक अभियन्ता
दिनांक- 29-12-05

प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

सचिव
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर
नाम- मुहम्मद अली
पदनाम- अमीन
दिनांक- 29-12-2005

प्रति हस्ताक्षरित

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
गोरखपुर ।

खसरा नंबर	अर्जित की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अर्जित की जाने वाली भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का विवरण
1	2	3
546	0-551	
547	0-610	
548	0-116	
549	0-749	
551	0-138	
552/2 मी.	[illegible]	
561	0-235	
562	[illegible]	
567 मि.	[illegible] — 0-060 हेक्टेयर [illegible]	
568 मि.	0-294 [illegible]	
568 मि.	0-160	
569 मि.	0-360	
570 मि.	0-172	
572 मि.	0-277	
573 मि.	0-571	
575 मि.	[illegible]	
576	1-076	
577 मि.	0-280	
580	[illegible]	
581	1-675	
582	0-089	
583	0-131	

सक्षम भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

2

1	2	3
504	0-637	
505	0-251	
507	1-157	
510	0-020	
511	0-110	
512	0-020	
504 ग	0-053	
505	0-454	
507 ग	0-430	
519 ग	0-522	
638	2-016	
639 क	2-049	
645	0-101	
646 मी	0-520	
647 मि	0-040	
647 कि	0-116	
651 कि	0-040	
651 मी	0-162	
652	0-016	
653	0-056 1/2	

प्रभारी भूमि अध्याप्ति [illegible]
संयुक्त संगठन [illegible]
गोरखपुर

प्रभारी अधि[illegible] (भू-अर्जन)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

1	2	3
654	0-291	
655	0-393	
656	0-506	
657	0-644	
658	0-150	
666	0-036	
667	0-004	
668मि	0-074	
669मि	0-336	
672मि	0-592½	
676मि	0-207	
678मि	0-601	
679	1-0900	
680मि	0-438	
691मि	0-455	
693	0-470	
694	2-120	

प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन)

4

1	2	3
697 मि	[illegible]	
698 मि	0.071	
699 मि	0.071	
700 मि	[illegible]	
700 मि	0.198	
701	[illegible]	
702 मि	[illegible]	
702 मि	[illegible]	
703 मि	0.336	
704 मि	0.224	
704 मि	0.107	
705	0.087	
706 मि	0.113	
707 मि	0.326	
708 मि	0.143	
707 मि	0.765	
708 मि	0.774	
711	0.025	

सक्षम भूमि अध्याप्ति अधिकारी
गोरखपुर

प्रभारी अधिकारी (भू-अर्जन)
गोरखपुर विकास प्राधिकरण
गोरखपुर

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं0सं0), गोरखपुर।

पूरक अभिनिर्णय आदेश

1	वाद सं0	1376–1
2	ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला	हमीदपुर, खुटहन, हवेली, सदर व गोरखपुर।
3	अर्जन निकाय का नाम	सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
4	अध्याप्ति का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन।
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	7.839हे0
5ए	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	0.902हे0
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हॉ
7	क्या धारा–17(1) के उपबंध लागू है।	हॉ
8	धारा–4(1)/17 की अधिसूचना की सं0/तिथि	संख्या–3358/आ–3–2003–05एल0ए0/2003 लखनऊ– दिनांक 20,फरवरी, 2004
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 20.02.2004
	ख–दैनिक गोरखपुर मेल	दिनांक 03.04.2004
	ग–दैनिक राष्ट्र चिन्ह	दिनांक 03.04.2004
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 10.06.2004
9	धारा–6(1)/17 की अधिसूचना की सं0/तिथि	संख्या–09/8–03–2005–05एल0ए0/2003 लखनऊ– दिनांक 27,जनवरी, 2005
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 27.01.2005
	ख– दैनिक स्वतंत्र चेतना	दिनांक 05.03.2005
	ग– दैनिक मशरिकी आवाज	दिनांक 05.03.2005
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 09.03.2005
10	अधिकार हस्तान्तरण	18.11.2005, 22.02.2007
11	पूरक हस्तान्तरण का क्षेत्रफल व दिनॉक	0.902 हे0 – 20.11.2024
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	20.11.2024
12	प्रतिकर निर्धारणः–	
	क– भूमि का प्रतिकर (करार नि0 1997)	मु0 ———
	ख–भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0–8,35,816.00
	ग– सम्पत्ति का प्रतिकर	मु0 ———
	घ–दो गुने के आधार	मु0–16,71,632.00
	घ–100% सोलेशियम/तोषण	मु0–16,71,632.00
	ड– 12% अतिरिक्त प्रतिकर	मु0–5,05,459.00
	सम्पूर्ण योगः–	मु0–38,48,723.00
13	2.5% भूमि अध्याप्ति व्यय	मु0–96,218.00
14	कुल योग	मु0–39,44,941.00
15	पूँजीकृत मूल्य	नियमानुसार देय होगा

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप में 7.839हे0 भूमि ग्राम–हमीदपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जन हेतु

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जॉचोपरान्त शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने आदेश संख्या-3358/आ-3-2003-05एल0ए0/2003, लखनऊ-दिनांक 20 फरवरी, 2004 को धारा-4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 20.02.2004 तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक गोरखपुर मेल व दैनिक राष्ट्र चिन्ह् में दिनांक 03.04.2004 को प्रकाशन कराया गया जिसकी स्थानीय सूचना/पब्लिक नोटिस दिनांक 10.06.2004 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 10.06.2004 को किया गया।

धारा-6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति संख्या-09/8-03-2005-05एल0ए0/2003 लखनऊ-दिनांक 27 जनवरी, 2005 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 27.01.2005 को तथा दो स्थानीय समाचार पत्र दैनिक स्वतंत्र चेतना व दैनिक मशरिकी आवाज में दिनांक 05.03.2005 को प्रकाशन कराया गया, जिसकी स्थनीय सूचना/पब्लिक नोटिस दिनांक 09.03.2005 को करायी गयी। इस प्रकार धारा-6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 09.03.2005 को किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए धारा 9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 29.04.2005 नियत करके आपत्ति की सुनवायी कर नियमानुसार निस्तारण किया गया।

अधिकार हस्तान्तरित भू-क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भू-स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल 0.902हे0 के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी थी और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया था। मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में सम्बन्धित वादीगणों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं के निस्तारण के सम्बंध में अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा पत्रांक-26/भू-अर्जन अनु0/गो0वि0प्रा0/2024-25 दिनांक 10.04.2024 से अवगत कराया गया कि मा0 उच्चतम न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में विशेष अनुज्ञा याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है, जिसका विवरण निम्न है-

क्र0 सं0	न्यायालय का नाम	विशेष अनुज्ञा याचिका सं0/पक्षकारों के नाम/योजित तिथि	खसरा सं0- अर्जित रकबा हे0 में	निस्तारित दिनॉक
1	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	25975/2005, श्री प्रकाश पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/ 31.03.2005	25/1 - 0.057हे0 26 -0.539हे0	10.04.2007
2	म0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	8923/2007 तथा 19359/2017 श्री प्रकाश पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य		25.04.2023
3	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद	11058/2006 हीरा सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/20.02.2006	07 - 0.306हे0	24.11.2016
		रकबे का योग-	0.902हे0	

अतः उपरोक्त अंकित गाटे/आराजी का कब्जा हस्तांतरण व एवार्ड घोषित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अर्जन निकाय सचिव गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा अपने पत्रांक-मेमो/भू-अर्जन अनु0/गो0वि0प्रा0/2024-25/दिनॉक 03.04.2024 से अवगत कराया कि चूँकि उपरोक्त योजित वाद का निस्तारण मा0 उच्च न्यायालय,

Scanned with OKEN Scanner

इलाहाबाद द्वारा वर्तमान में किया गया है जिस कारण भू-अर्जन हेतु वर्तमान में लागू/क्रियाशील "भू-अर्जन पुर्नवासन व पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 24 (1-क) व धारा-25 के अन्तर्गत लागू उपबन्धों के अनुसार निस्तारित वाद के सम्बन्धित आराजी का प्रतिकर की गणना करते हुए अभिनिर्णय घोषित किया जाना उचित होगा। इसी सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा S.L.P.C-Excutive Engineer Gosikhurd Project Ambadi, Bhandara, Maharashtra Vidarbha Irrigation Development Corporation Vs. Mahesh & others व मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय रिट सी0 सं0-31120/2019 प्यारेलाल एवं 24 अन्य व रिट सी0 सं0-21621/2023 राजेन्द्र कुमार व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त व निर्देशानुसार ही प्रतिकर की गणना कर अभिनिर्णय घोषित किया जाना उचित होगा। जिसके उपरान्त मा0 न्यायालय द्वारा खारिज वादों से सम्बंधित वादीगण की अर्जित कुल 0.902हे0 भूमि का अधिकार/कब्जा अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को दिनांक 30.11.2024 हस्तान्तरित करते हुए रकबा 0.902हे0 भूमि का प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

-: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :-

अर्जित भूमि के सम्बंध में आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल, जिला गोरखपुर के आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल/भूमि के प्रतिकर की गणना मु0 9,26,625.00रूपया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रतिकर प्रगणित किया जायेगा, जैसा की प्रथम अभिनिर्णय वाद संख्या-1376 दिनांक 29.04.2008 में उल्लिखित है। अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम-हमीदपुर, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के उपरोक्त वर्णित भूमि के कुल रकबें 0.902हे0, जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्चतम/उच्च न्यायालय में योजित वाद के डिस्पोज/निरस्त होने के उपरान्त प्रतिकर की गणना भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के धारा-24 (1-क) में दिये गये निर्देश के नियमानुसार किया गया है-

01-मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 25975/2005, श्री प्रकाश पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य तथा मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0 8923/2007 तथा 19359/2017 श्री प्रकाश पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य-10.04.2007 व 25.04.2023

गाटा सं0- अर्जित रकबा हे0 में	कुल अर्जित रकबा (हे0 में)	प्रतिकर की दर	प्रतिकर	ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर का दोगुना	100% सोलेशियम/तोषण	12% अति0 धनराशि(934 दिन का)	योग (4+5+6)	अ0 वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25/1-0.057 26 -0.539	0.596	9,26,625.00	5,52,269.00	11,04,538.00	11,04,538.00	1,69,584.00	23,78,660.00	

02-मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 11058/2006 हीरा सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य/20.02.2006

गाटा सं0- अर्जित रकबा हे0 में	कुल अर्जित रकबा (हे0 में)	प्रतिकर की दर	प्रतिकर	ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर का दोगुना	100% सोलेशियम/तोषण	12% अति0 धनराशि(3603 दिन का)	योग (4+5+6)	अ0 वि0
1	2	3	4	5	6	7	8	9
07-0.306	0.306	9,26,625.00	2,83,547.00	5,67,094.00	5,67,094.00	3,35,875.00	14,70,063.00	
कुल-	0.902		8,35,816.00	16,71,632.00	16,71,632.00	5,05,459.00	38,48,723.00	

इस प्रकार ग्राम-हमीदपुर, तप्पा-खुटहन, परगना-हवेली, तहसील-सदर, जिला-गोरखपुर के उपरोक्त सूची के कालम 1 में अंकित गाटों व अर्जित रकबे के अनिवार्य अर्जन हेतु निर्धारित दर मु0 9,26,625.00रूपया प्रति हेक्टेयर के अनुसार प्रतिकर गणना व 100% सोलेशियम

Scanned with OKEN Scanner

अथवा तोषण की गणना की गयी है तथा 12% अतिरिक्त प्रतिकर की गणना में आराजियों के सम्बन्ध में योजित वाद की तिथि से वाद के निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनों को सम्मिलित नहीं किया गया है।

ग्राम–हमीदपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 0.902हे0 भूमि का प्रतिकर मु0 8,35,816.00 रू0 होता है। जिसके आधार पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–30(2) के अनुसार अनुसूची–1 के कम संख्यांक–1 के स्तम्भ–2 के निर्धारित प्रतिकर में स्तम्भ–3 के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर की धनराशि को (दो) से गुणित करने पर भूमि का प्रतिकर मु0 16,71,632.00 मात्र होता है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 की धारा–30(1) के अनुसार शत प्रतिशत प्रतिकर की रकम के समतुल्य तोषण की रकम देय है, जो प्रगणित करने पर मु0 16,71,632.00 होता है। इसके अतिरिक्त धारा–4(1)/17 की अंतिम प्रकाशन की तिथि 10.06.2004 से अभिनिर्णय की तिथि 20.11.2024 तक का भूमि के मूल प्रतिकर की धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से अतिरिक्त प्रतिकर भी देय है, जो प्रगणना से मु0 5,05,459.00 होता है। परन्तु इस अवधि में सम्बंधित आराजियों के सम्बन्ध में योजित वाद की तिथि से वाद के निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रतिकर की कुल अभिनिर्णित धनराशि मु038,48,723.00 (मु0 अड़तीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ तेईस रूपये मात्र) प्रगणित है। अभिनिर्णित धनराशि पर 2.5 प्रतिशत अर्जन व्यय मु0 96,218.00 होता है तथा नियमानुसार लगान की धनराशि का 40 गुना अध्याप्ति निकाय से वसूल कर जमा कोष किया जायेगा।

अतः मैं विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (सं0सं0) गोरखपुर राजस्व ग्राम–हमीदपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जित की जा रही रकबा 0.902हे0 भूमि का प्रतिकर, ग्रामीण क्षेत्र की दशा में प्रतिकर मूल्य का 2गुना (कारक) प्रतिकर, 100 प्रतिशत तोषण एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की कुल धनराशि 38,51,471.00 का पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ तथा यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व में घोषित अभिनिर्णय वाद संख्या–1376 दिनॉक 29.04.2008 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान–गोरखपुर।

दिनांक–20.11.2024

(सुशील कुमार गोंड)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः सक्षम प्राधिकारी / विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं0रां0), गोरखपुर।

पूरक अभिनिर्णय आदेश

1	वाद सं0	1374–3 / 2006
2	ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला	फत्तेपुर, खुटहन, हवेली, सदर व गोरखपुर।
3	अर्जन निकाय का नाम	सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
4	अध्याप्ति का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन।
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	34.636हें0
5ए	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	4.201533हें0
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हॉं
7	क्या 17(1) लागू है।	हॉं
8	धारा–4(1) / 17 की अधिसूचना की सं0 / तिथि	संख्या–5389 / 9–अ–3–2003–01एल0ए0–2003 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2004
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधरण गजट	दिनांक 09.01.2004
	ख– गोरखपुर मेल	दिनांक 10.02.2004
	ग– राष्ट्र चिन्ह	दिनांक 10.02.2004
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 15.07.2004
9	धारा–6(1) / 17 की अधिसूचना की सं0 / तिथि	संख्या–10 / 8–3–2005–01एल0ए0–03 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2005
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 11.01.2005
	ख– दैनिक जागरण	दिनांक 11.01.2005
	ग– राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 11.01.2005
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 24.02.2005
10	अधिकार हस्तान्तरण	20.08.2006, 22.02.2007, 16.06.2007 व 28.06.2011
11	पूरक हस्तान्तरण का दिनॉक	21.02.2022
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	21.02.2022
12	प्रतिकर निर्धारणः–	
	क– भूमि का प्रतिकर (करार नि0 1997)	मु0 ———
	ख– भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0–62,29,193.00
	ग– सम्पत्ति का प्रतिकर	मु0 ———
	घ– 30% सोलेशियम	मु0– 18,68,758.00
	ड– 12% अतिरिक्त प्रतिकर	मु0– 23,27,775.00
	सम्पूर्ण योगः–	1,04,25,726.00
13	भूमि अध्याप्ति व्यय	10,42,573.00
14	ब्याज की धनराशि	———
15	पूँजीकृत मूल्य	....

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप में 34.636हें0 भूमि ग्राम–फत्तेपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जॉचोपरान्त शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोंपरान्त अपने आदेश सं0–5389/9–आ–3–2003–01 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 09 जनवरी, 2004 को धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 09.01.2004 दो स्थानीय समाचार पत्र गोरखपुर मेल व राष्ट्र चिन्ह् में दिनांक 10.02.2004 तथा स्थानीय सूचना/मुनादी दिनांक 15.07.2004 को करायी गयी।

धारा–6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति सं0–10/8–3–2005–01 एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी 2005 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 07.01.2005 दो समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 11.01.2005 तथा स्थनीय सूचना/मुनादी दिनांक 24.02.2005 को करायी गयी।

भूमि अध्याप्ति अधनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए धारा 9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 18.04.2005 व 19.04.2005 नियत करके आपत्ति की सुनवायी की गयी।

अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर द्वारा पत्रांक 620/तेरह–भू–अर्जन/गो0वि0प्रा0/2021–22 दिनांक 15.12.2021 द्वारा यह अवगत कराया गया कि ग्राम–फत्तेपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के गाटा सं0 37मि0 क्षे0 0.037533हे0, गाटा सं0 16मि0 क्षे0 1.680हे0, गाटा सं0 62 क्षे0 1.084हे0 व गाटा सं0 184मि0 क्षे0 1.400हे0 भूमि जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका लम्बित होने से उक्त आराजी नम्बरों का तत्समय एवार्ड घोषित नहीं हो सका था। उक्त आराजियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकरण के पक्ष में याचिका खारिज कर दिया गया है अतः उक्त गाटों/आराजियों का एवार्ड घोषित करते हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रमशः खसरा संख्या 37मि0 रकबा 0.037533हे0 के सम्बन्ध में रिट संख्या–797/2007 राम आशीष दीक्षित व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य, खसरा संख्या 16मि0 1.680हे0 व खसरा संख्या 62 रकबा 1.084हे0 के सम्बन्ध में रिट संख्या–38044/2006 मुर्तुजा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार तथा खसरा संख्या 184मि0 रकबा 1.400हे0 के सम्बन्ध में रिट संख्या–34318/2006 साजिद अली व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार योजित किया गया था जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनॉक 22.07.2021, 10.08.2021 व 01.11.2019 द्वारा डिस्पोज/निरस्त कर दिया गया है, जिसके उपरान्त वादीगण की अर्जन से प्रभावित 4.201533हे0 भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को हस्तान्तरित करते हुए प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

–: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :–

शासनादेश सं0 1718/1–13–01–20(124)/01–रा0–13 दिनॉक 29.09.2001 के अनुपालन में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों का बैठक क्रमशः दिनॉक 19.02.2007 व 15.11.2008 को सम्पन्न हुआ। समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन एवं करार के अन्तर्गत भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित दर जिसकी स्वीकृति मा0 आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर द्वारा प्रदान की जा चुकी है। याचीगण द्वारा करार के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत न करने के कारण अनिर्वाय अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

Scanned with OKEN Scanner

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम–फत्तेपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के गाटा सं0 37मि0 क्षे0 0.037533हे0, गाटा सं0 16मि0 क्षे0 1.680हे0, गाटा सं0 62 क्षे0 1.084हे0 व गाटा सं0 184मि0 क्षे0 1.400हे0 कुल 4.201533हे0 भूमि के प्रतिकर की गणना निम्नानुसार किया गया है–

अधिकार हस्तान्तरण । का दिनॉक	गाटा सं0 / क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त धनराशि	योग	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7
21.02.2022	37मि0 / 0.037533	55,646.43	16,693.93	17,032.38	89,372.74	12% अतिरिक्त प्रतिकर की गणना में आराजियों के सम्बन्ध में योजित वाद के तिथि से निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनों को सम्मिलित नहीं किया गया है।
	16मि0 / 1.680	24,90,768.00	7,47,230.40	7,58,285.32	39,96,283.70	
	62 / 1.084	16,07,138.40	4,82,141.52	4,89,274.57	25,78,554.49	
	184मि0 / 1.400	20,75,640.00	6,22,692.00	10,63,182.61	37,61,514.61	
योग	**4.201533**	**62,29,192.83**	**16,68,757.85**	**23,27,774.88**	**1,04,25,725.54**	

इस प्रकार ग्राम–फत्तेपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के उपरोक्त सूची के कालम 2 में अंकित गाटों में अर्जित रकबे के अनिवार्य अर्जन हेतु निर्धारित दर के अनुसार प्रतिकर गणना व 30% सोलेशियम की गणना की गयी है तथा 12% अतिरिक्त प्रतिकर की गणना में आराजियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित वाद के तिथि से निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनों को सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार 12% अतिरिक्त प्रतिकर की गणना आराजी 37मि0 में 931 दिन, आराजी सं0 16मि0 व 62 में 926 दिन तथा आराजी 184मि0 में 1558 दिन से करते हुए कुल प्रतिकर की गणना की गयी है।

अतः मै विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर ग्राम–फत्तेपुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 4.201533हें0 भूमि का प्रतिकर, 30% सोलेशियम व 12% अतिरिक्त प्रतिकर व 10% भूमि अध्याप्ति व्यय का कुल योग मु0 1,14,68,299.00रू0 पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। पूरक अभिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण पूरक भू–अर्जन प्रपत्र–11 व पूरक अनुसूची–3 में अंकित है। यह पूरक अभिनिर्णय पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 20.05.2010 व पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.06.2011 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान–गोरखपुर।
दिनांक–21.02.2022

(अरविन्द कुमार राय)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं0सं0), गोरखपुर।

संशोधित अभिनिर्णय आदेश

गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप में 5.449है0 भूमि ग्राम–मिर्जापुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जन किया गया है। जिसके सम्बंध में रकबा 0.318है0 भूमि का पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.03.2022 को मु0 24,41,872.00रू0 घोषित किया गया तथा कार्यालय के पत्रांक–2786/आठ–वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/गो0–22, दिनांक 31.03.2022 से नियमानुसार सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर को प्रेषित किया गया।

कतिपय भू–स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल 0.103है0 के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी थी और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया था, तथा क्षेत्रफल 0.215है0 का कब्जा अर्जन निकाय को दिनांक 22.02.2007 को हस्तांतरित किया गया परन्तु अभिनिर्णय में शामिल नही किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सम्बन्धित वादीगणों द्वारा क्रमशः आराजी सं0 187 रकबा 0.031है0 के सम्बंध में श्रीमती लक्ष्मी पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य, आराजी सं0 198 रकबा 0.040है0 के सम्बंध में श्रीमती फूलमती राय बनाम उ0प्र0 सरकार, आराजी सं0 186 रकबा 0.032है0 के सम्बंध में अनिरूद्ध प्रसाद पाण्डेय बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य, आराजी सं0 203 रकबा 0.025है0, 205 रकबा 0.040है0 व 464 रकबा 0.048है0 के सम्बंध में श्रीमती जीमरून निशा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य तथा आराजी सं0 206 रकबा 0.077है0 व 203 रकबा 0.025है0 के सम्बंध में जनक सर्व शिक्षा विकास समिति व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य दाखिल किया गया था।

अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा पत्रांक 20/तेरह–भू–अर्जन/गो0वि0प्रा0/2021–22 दिनांक 10.12.2021 से अवगत कराया गया कि सम्बन्धित/उक्त योजित वाद मा0 न्यायालय द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पक्ष में खारिज/निरस्त किया जा चुका है, अतः उक्त गाटों/ आराजियों का एवार्ड घोषित करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिसके उपरान्त वादीगण की अर्जन से प्रभावित 0.103है0 भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर, विकास प्राधिकरण गोरखपुर को दिनांक 28.03.2022 हस्तान्तरित करते हुए तथा पूर्व में दिनांक 20.02.2007 को हस्तांतरित रकबा 0.215है0 भूमि, कुल 0.318है0 भूमि का प्रतिकर निर्धारण करते हुऐ पूरक अभिनिर्णय आदेश दिनांक 28.03.2022 घोषित किया गया।

पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.03.2022 में सम्मिलित आराजी संख्या 187 अर्जित रकबा 0.031है0 भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने के सम्बंध में भू–स्वामीनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में वाद संख्या 2784/2005 लक्ष्मी पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित किया गया था। जिसके सम्बंध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा पत्रांक–609/तेरह–भू–अर्जन/गो0वि0प्रा0/2021–22, दिनांक 10/12/2021 से कार्यालय को अवगत कराया गया कि उक्त वाद संख्या–2784/2005 लक्ष्मी पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2005 से अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर के पक्ष में निस्तारित किया गया है। जिसके उपरान्त आराजी संख्या–187 अर्जित रकबा 0.031है0 भूमि को पूरक अभिनिर्णय आदेश दिनांक 28.03.2022 में सम्मिलित किया गया, परन्तु इसके उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि आराजी संख्या–187 अर्जित रकबा 0.031है0 के भू–स्वामिनी द्वारा एक अन्य वाद संख्या 30667/2005 लक्ष्मी पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित किया गया था, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांक 02.01.2006 से निम्न निर्देश पारित कर उक्त वाद को निस्तारित कर दिया गया।

The petitioner has already filed an application under Section 48 of the Land Acquisition Act, 1894 to the Secretary Avas and Shahri Niyojan, U.P. Lucknow, which has not been decide till date.

In the circumstances of the case, respondent no. 1, Secretary Avas and Shahri Niyojan, U.P. Lucknow is directed to decide the aforesaid representation of the petitioner at the earliest.

Till the aforesaid representation of the petitioner is decided, the dispossession of the petitioner from the land in dispute shall remain stayed.

With the aforesaid direction, the writ petition is disposed of.

Scanned with OKEN Scanner

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.01.2006 के कम में शासन द्वारा वादिनी के प्रत्यावेदन के निस्तारण के सम्बंध में कोई सूचना उपलब्ध न होने के कारण मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के समादर आराजी संख्या 187 अर्जित रकबा 0.031हे0 भूमि को पूरक अभिनिर्णय आदेश दिनांक 28.03.2022 से पृथक कर कब्जा निरस्त किया जाता है। इसके पश्चात पूरक अभिनिर्णय दिनांक 28.03.2022 का संशोधित प्रतिकर गणना निम्न प्रकार से है:–

कब्जा तिथि	गाटा सं0 / क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त धनराशि	योग (3+4+5)	9%	15%	कुल योग (6+7+8)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.2022	198 / 0.040	62,500.00	18,750.00	82,397.26	1,63,647.26	00.00	00.00	1,63,647.00	
	186 / 0.032	50,000.00	15,000.00	81,649.32	1,46,649.32	00.00	00.00	1,46,649.00	
22.02.2007	203 / 0.050	78,125.00	23,437.50	25,351.03	1,26,913.53	11,422.22	2,68,030.94	4,06,367.00	
	205 / 0.040	62,500.00	18,750.00	20,280.82	1,01,530.82	9,137.77	2,14,424.75	3,25,093.00	
	464 / 0.048	75,000.00	22,500.00	24,336.99	1,21,836.99	10,965.33	2,57,309.70	3,90,112.00	
	206 / 0.077	1,20,312.50	36,093.75	39,040.58	1,95,446.83	17,590.21	4,12,767.69	6,25,805.00	
योग	0.287	4,48,437.50	1,34,531.25	2,73,055.99	8,56,024.74	49,115.53	11,52,533.04	20,57,673.00	

अतः वाद संख्या–1379–1/2002 राजस्व ग्राम–मिर्जापुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के घोषित पूरक अभिनिर्णय आदेश दिनांक 28.03.2022 के **प्रस्तर–5ए** में पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल रकबा 0.318हे0 के स्थान पर रकबा 0.287हे0, **प्रस्तर–11** में पूरक हस्तांतरण का क्षेत्रफल 0.103हे0 के स्थान पर क्षेत्रफल 0.072हे0, **प्रस्तर–12ख** में भूमि का प्रतिकर मु0 4,96,875.00रू0 के स्थान पर मु0 4,48,437.50रू0, प्रस्तर–12घ में 30% सोलेशियम मु0 1,49,062.50रू0 के स्थान पर मु0 1,34,531.25रू0, **प्रस्तर–12ड** में 30% अतिरिक्त प्रतिकर मु0 3,72,298.46रू0 के स्थान पर मु0 2,73,055.99रू0, **सम्पूर्ण योग** मु0 10,19,553.73रू0 के स्थान पर मु0 8,56,024.74रू0, **प्रस्तर–13** में भूमि अध्याप्ति व्यय 10% मु0 2,21,988.00रू0 के स्थान पर भूमि अध्याप्ति व्यय 2.5% मु0 51,442.00रू0 तथा **कुल योग** मु0 24,41,872.00रू0 के स्थान पर मु0 21,09,115.00रू0 पढ़ा जाये। तदनुसार प्रपत्र–11, पूरक अनुसूची–3 व अन्य सम्बंधित समस्त अभिलेख संशोधित किया जाय। यह संशोधित अभिनिर्णय आदेश, पूरक अभिनिर्णय आदेश वाद संख्या–1379–1/2002 दिनांक 28.03.2022 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अभिन्न अंग होगा।

स्थान–गोरखपुर।
दिनांक– 31/03/2022

A. K.
(अरविन्द कुमार राय)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
(सं0सं0) गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालयः विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी(सं0सं0), गोरखपुर।

पूरक अभिनिर्णय आदेश

1	वाद सं0	1379–1 / 2002
2	ग्राम, तप्पा, परगना, तहसील व जिला	मिर्जापुर, खुटहन, हवेली, सदर व गोरखपुर।
3	अर्जन निकाय का नाम	सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर।
4	अध्याप्ति का प्रयोजन	सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु भूमि स्थायी अर्जन।
5	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल	5.449हे0
5ए	पूरक अभिनिर्णय का क्षेत्रफल	0.318हे0
6	क्या जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था के अन्तर्गत आती है।	हॉ
7	क्या 17(1) लागू है।	हॉ
8	धारा–4(1) / 17 की अधिसूचना की सं0 / तिथि	संख्या–353 / 9–आ–3–2003–08एल0ए0 / 2003 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2004
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधरण गजट	दिनांक 12.01.2004
	ख– दैनिक चेतना विचारधारा	दिनांक 09.02.2004 शुद्धि पत्र 31.03.2004
	ग– दैनिक राष्ट्र चिन्ह	दिनांक 10.02.2004 शुद्धि पत्र 03.04.2004
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 10.06.2004
9	धारा–6(1) / 17 की अधिसूचना की सं0 / तिथि	संख्या–08 / 8–3–2005–08एल0ए0 / 2003 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2005
	प्रकाशनः–	
	क– उ0प्र0 असाधारण गजट	दिनांक 07.01.2005
	ख– दैनिक स्वतंत्र चेतना	दिनांक 11.01.2005 शुद्धि पत्र 28.01.2005
	ग– दैनिक राष्ट्रीय सहारा	दिनांक 11.01.2005
	घ– पब्लिक नोटिस	दिनांक 28.02.2005
10	अधिकार हस्तान्तरण	20.08.2006, 22.02.2007
11	पूरक हस्तान्तरण का क्षेत्रफल व दिनॉक	0.103हे0–28.03.2022
11	पूरक अभिनिर्णय का दिनांक	28.03.2022
12	प्रतिकर निर्धारणः–	
	क– भूमि का प्रतिकर (करार नि0 1997)	मु0 –––––
	ख– भूमि का प्रतिकर (अनिवार्य अर्जन से)	मु0–4,96,875.00
	ग– सम्पत्ति का प्रतिकर	मु0 –––––
	घ– 30% सोलेशियम	मु0–1,49,062.50
	ङ– 12% अतिरिक्त प्रतिकर	मु0–3,72,298.46
	सम्पूर्ण योगः–	10,19,553.73
13	भूमि अध्याप्ति व्यय	2,21,988.00
14	9% ब्याज की धनराशि	49,115.53
15	15% ब्याज की धनराशि	11,52,533.04
16	पूँजीकृत मूल्य	नियमानुसार देय

अभिनिर्णय का औचित्य

सचिव, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा जनपद गोरखपुर में सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी बनाने हेतु स्थायी रूप में 5.449हे0 भूमि ग्राम–मिर्जापुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में अर्जन हेतु प्रस्ताव

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया गया। भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी करने हेतु विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जॉचोपरान्त शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। शासन द्वारा अर्जन प्रस्ताव के परिक्षणोंपरान्त अपने आदेश संख्या–353/9–आ–3–2003–08एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2004 को धारा–4(1)/17 की अधिसूचना जारी की गयी। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 12.01.2004 तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक स्वतंत्र विचारधारा में दिनांक 09.02.2004 शुद्धि पत्र दिनांक 31.03.2004 को व दैनिक राष्ट्र चिन्ह् में दिनांक 10.02.2004 शुद्धि पत्र दिनांक 03.04.2004 को प्रकाशन कराया गया जिसकी स्थानीय सूचना/ पब्लिक नोटिस दिनांक 10.06.2004 को करायी गयी। इस प्रकार धारा 4(1) की अन्तिम विज्ञप्ति का प्रकाशन दिनांक 10.06.2004 को किया गया।

धारा–6(1)/17 की अधिसूचना शासन के आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 लखनऊ द्वारा विज्ञप्ति संख्या–08/8–3–2005–08एल0ए0/2003 लखनऊ दिनांक 07 जनवरी, 2005 को जारी किया गया। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन दिनांक 07.01.2005 को तथा दो समाचार पत्र दैनिक स्वतंत्र चेतना में दिनांक 11.01.2005 शुद्धि पत्र 28.01.2005 को एवं दैनिक राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 11.01.2005 को प्रकाशन कराया गया, जिसकी स्थनीय सूचना/ पब्लिक नोटिस दिनांक 28.02.2005 को करायी गयी। इस प्रकार धारा–6(1) के अन्तिम प्रकाशन का दिनांक 28.02.2005 को किया गया।

भूमि अध्याप्ति अधनियम के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए धारा 9(1) व 9(3) की आपत्ति सुनवाई हेतु दिनांक 05.04.2005 नियत करके आपत्ति की सुनवायी कर नियमानुसार निस्तारण किया गया।

अधिकार हस्तान्तरित भू क्षेत्र के अतिरिक्त कतिपय भू–स्वामियों द्वारा अपनी भूमि को भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से मुक्त करने हेतु विभिन्न न्यायालयों में वाद/रिट/विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल 0.103हे0 के अधिकार हस्तान्तरण की कार्यवाही नहीं की गयी थी और न ही अभिनिर्णय में शामिल किया गया था, तथा क्षेत्रफल 0.215हे0 का कब्जा अर्जन निकाय को दिनांक 22.02.2007 को हस्तांतरित किया गया परन्तु अभिनिर्णय में शामिल नहीं किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सम्बन्धित वादीगणों द्वारा क्रमशः आराजी सं0 187 रकबा 0.031हे0 के सम्बंध में श्रीमती लक्ष्मी पाण्डेय बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य, आराजी सं0 198 रकबा 0.040हे0 के सम्बंध में श्रीमती फूलमती राय बनाम उ0प्र0 सरकार, आराजी सं0 186 रकबा 0.032हे0 के सम्बंध में अनिरूद्ध प्रसाद पाण्डेय बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य, आराजी सं0 203 रकबा 0.025हे0, 205 रकबा 0.040हे0 व 464 रकबा 0.048हे0 के सम्बंध में श्रीमती जीमरून निशा व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य तथा आराजी सं0 206 रकबा 0.077हे0 व 203 रकबा 0.025हे0 के सम्बंध में जनक सर्व शिक्षा विकास समिति व अन्य बनाम उ0प्र0सरकार व अन्य दाखिल किया गया था।

अर्जन निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर द्वारा पत्रांक 609/तेरह–भू–अर्जन/गो0वि0प्रा0/2021–22 दिनांक 10.12.2021 से अवगत कराया गया कि सम्बन्धित/उक्त योजित वाद मा0 न्यायालय द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पक्ष में खारिज/निरस्त किया जा चुका है, अतः उक्त गाटों/ आराजियों का एवार्ड घोषित करने हेतू अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिसके उपरान्त वादीगण की अर्जन से प्रभावित 0.103हे0 भूमि का अधिकार अध्याप्ति निकाय गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर को दिनांक 28.03.2022 हस्तान्तरित करते हुए तथा पूर्व में दिनांक 20.02.2007 को हस्तांतरित रकबा 0.215हे0 भूमि, कुल 0.318हे0 भूमि का प्रतिकर निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

Scanned with OKEN Scanner

—: अर्जनाधीन भूमि के प्रतिकर का निर्धारण :—

शासनादेश सं0 1718/1–13–01–20(124)/01–रा0–13 दिनॉक 29.09.2001 के अनुपालन में अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि का दर निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों का बैठक क्रमशः दिनॉक 15.11.2008 व 16.11.2008 को सम्पन्न हुई। समिति द्वारा अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत भुगतान किये जाने हेतु निर्धारित दर मु0 15,62,500.00रू/हे0, जिसकी स्वीकृति मा0 आयुक्त महोदय, गोरखपुर मण्डल गोरखपुर द्वारा आदेश दिनांक 10.12.2008 में प्रदान की जा चुकी है। याचीगण द्वारा करार के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण हेतु प्रार्थना प्रस्तुत न करने के कारण अनिर्वाय अर्जन के अन्तर्गत प्रतिकर का निर्धारण किया गया।

अनिवार्य अर्जन के अन्तर्गत ग्राम–मिर्जापुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के गाटा सं0 187 क्षे0 0.031हे0, गाटा सं0 198 क्षे0 0.040हे0, गाटा सं0 186 क्षे0 0.032हे0, गाटा सं0 203मि0 क्षे0 0.050हे0, गाटा सं0 205 क्षे0 0.040हे0, गाटा सं0 464मि0 क्षे0 0.048हे0 व गाटा सं0 206 क्षे0 0.077हे0 भूमि जिसके सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित वाद के डिस्पोज/निरस्त होने के उपरान्त प्रतिकर की गणना निम्नानुसार किया गया है–

कब्जा तिथि	गाटा सं0/ क्षेत्रफल (हे0 में)	प्रतिकर	30% सोलेशियम	12% अतिरिक्त धनराशि	योग (3+4+5)	9%	15%	कुल योग (6+7+8)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28.03.2022	187/ 0.031	48,437.50	14,531.25	99,242.47	1,62,211.22	00.00	00.00	1,62,211.00	
	198/ 0.040	62,500.00	18,750.00	82,397.26	1,63,647.26	00.00	00.00	1,63,647.00	
	186/ 0.032	50,000.00	15,000.00	81,649.32	1,46,649.32	00.00	00.00	1,46,649.00	
22.02.2007	203/ 0.050	78,125.00	23,437.50	25,351.03	1,26,913.53	11,422.22	2,68,030.94	4,06,367.00	
	205/ 0.040	62,500.00	18,750.00	20,280.82	1,01,530.82	9,137.77	2,14,424.75	3,25,093.00	
	464/ 0.048	75,000.00	22,500.00	24,336.99	1,21,836.99	10,965.33	2,57,309.70	3,90,112.00	
	206/ 0.077	1,20,312.50	36,093.75	39,040.58	1,95,446.83	17,590.21	4,12,767.69	6,25,805.00	
योग	0.318	4,96,875.00	1,49,062.50	3,72,298.46	10,18,235.96	49,115.53	11,52,533.04	22,19,884.00	

इस प्रकार ग्राम–मिर्जापुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जिला–गोरखपुर के उपरोक्त सूची के कालम 2 में अंकित कब्जा दिनांक 28.03.2022 के गाटों में अर्जित रकबे के अनिवार्य अर्जन हेतु निर्धारित दर के अनुसार प्रतिकर गणना व 30 प्रतिशत सोलेशियम की गणना की गयी है तथा 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की गणना कब्जा दिनांक की तिथि तक की गयी है तथा कब्जा दिनांक 22.02.2007 के गाटों में उपरोक्त अतिरिक्त प्रतिकर गणना के साथ कब्जा दिनांक के उपरान्त एक वर्ष (365 दिन) की अवधि का 9 प्रतिशत तथा उसके उपरान्त अभिनिर्णय की तिथि तक का 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गयी है। आराजियों के सम्बन्ध में योजित वाद के तिथि से निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनों को प्रतिकर गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है। इस प्रकार 12 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की गणना आराजी 187 में 6232 दिन, आराजी सं0 198 में 4010 दिन, 186 में 4967 दिन तथा आराजी 203, 205, 464 व 206 में 987 दिन से करते हुए प्रतिकर की गणना की गयी है चूंकि आराजी सं0 203, 205, 464 व 206 का कब्जा हस्तांतरण दिनांक 22.02.2007 को अर्जन निकाय को किया जा चुका है, जिस वजह से उक्त गाटों की कुल प्रतिकर गणना में एक वर्ष का 9 प्रतिशत यानी 365 दिन तथा इसके उपरान्त अभिनिर्णय की तिथि तक के 5139 दिनों का 15 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर की गणना की गयी है। अतिरिक्त प्रतिकर की गणना में आराजियों के सम्बंध में मा0 न्यायालय में योजित वाद की तिथि से निस्तारित/आदेश की तिथि तक के दिनो को सम्मिलित नहीं किया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

अतः मै, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0) गोरखपुर ग्राम–मिर्जापुर, तप्पा–खुटहन, परगना–हवेली, तहसील–सदर, जनपद–गोरखपुर में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनियोजित विकास योजना के अन्तर्गत आवासीय कालोनी के निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी 0.318हें0 भूमि का प्रतिकर, 30% सोलेशियम, 12% अतिरिक्त प्रतिकर व 9%, 15% का योग मु0 22,19,884.00रू0 व तथा 10% भू–अर्जन व्यय मु0 2,21,988.00रू0 के कुल योग मु0 24,41,872.00रू का पूरक अभिनिर्णय घोषित करता हूँ। पूरक अमिनिर्णित धनराशि का पूर्ण विवरण पूरक भू–अर्जन प्रपत्र–11 व पूरक अनुसूची–3 में अंकित है, पूर्व में घोषित अभिनिर्णय दिनांक 29.07.2010 के साथ पठित होगा तथा अभिनिर्णय का अंग होगा।

स्थान–गोरखपुर।
दिनांक–28.03.2022

(अरविन्द कुमार राय)
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,
नै (सं0सं0) गोरखपुर।

Scanned with OKEN Scanner

(M)

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 17:14:48

ग्राम क्रमांक : 185541 ग्राम का नाम (परगना) : मिर्ज़ापुर तप्पा खुटहन (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00067

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
489	1) जैस्न निशा/हैदर अली/नि. ग्रा.फत्तेपुर		स.1412फ	489(185541048900012)	0.0230	1) 1/1	1) 0.0230	0.63
							0.0230	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य दो तीन शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - शून्य दशमलव छ: तीन रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव शून्य दो तीन शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 17:14:48

ग्राम क्रमांक : 185541 ग्राम का नाम (परगना) : मिर्जापुर तप्पा खुटहन (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) भाग : 1

(1) खाता संख्या : 00067

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

<u>पूर्व आदेशों का विवरण</u>

1) परवाना से प्राप्त। कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0 सं0), गोरखपुर पत्रांक -917/आठ-नि0भू0 अ0 अ0(सं0 सं0)/ गो0-21/ दिनांक - 18.7.21 पर तहसीलदार सदर गोरखपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 के अनुपालन में ग्राम मिर्जापुर तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन गोरखपुर भूमि अध्याप्ति वाद सं0 1379 फुन्नी पुत्र जोखन नि0 ग्राम रामगढ़ से खाता सं0 126 गाटा सं0 489 रकबा 0.023 रु0 0.63 से उल्लिखित व्यक्तियों के नाम उल्लिखित भूमि से खारिज करके उत्तर प्रदेश / भारत (गोरखपुर विकास प्राधिकरण विभाग) के नाम खतौनी में दर्ज किया जाय।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण आदि) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवं सी.एस.सी./लोकवाणी केन्द्र से शुल्क की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 16:10:39

ग्राम क्रमांक : 217324 ग्राम का नाम (परगना) : मानबेला (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00346

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
716	1) शिवानन्द मिश्र/कृष्णपति मिश्र/ग्रा.नथमलपुर गोरखपुर		स.1408फ	716(2173240716000012)	0.6440	1) 1/1	1) 0.6440	16.55
							0.6440	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव छ: चार चार शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक छ: दशमलव पाँच पाँच रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव छ: चार चार शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 16:10:39

ग्राम क्रमांक : 217324 ग्राम का नाम (परगना) : मानबेला (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00346

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

__पूर्व आदेशों का विवरण__

1) परवाना से प्राप्त। कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0 सं0) गोरखपुर पत्रांक 900/ आठ वि0 भू0 अ0 अ0 (सं0 सं0) गोरखपुर -21/ दिनांक 17 सितम्बर 2021पर तहसीलदार सदर के आदेश दिनांक 20.09.21 के क्रम में ग्राम मानबेला टप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर के रामानन्द मिश्र पुत्र कृष्ण पति मिश्र निवासी कूड़ाघाट गोरखपुर के खाता सं0 376 गाटा सं0 702 मि0 रकबा 0.240 हे0 माल गुजारी 5.92, लक्ष्मी मिश्रा पत्नी कृष्ण पति मिश्रा निवासी नथमलपुर गोरखपुर के खाता सं0 400 गाटा सं0 712 रकबा 0.231 हे0 माल गुजारी 6.85 व लक्ष्मी मिश्रा पत्नी कृष्णपति मिश्रा निवासी नथमलपुर गोरखपुर के खाता सं0 402 गाटा सं0 707 मि0 रकबा 0.731 हे0 माल गुजारी 18.06, व शिवानन्द मिश्र पुत्र कृष्णपति मिश्र निवासी नथमलपुर गोरखपुर के खाता सं0 417 गाटा सं0 716 रकबा 0.644 माल गुजारी 16.55 व सोनू पुत्र जयकरन नाबा0 उम्र 5 वर्ष सं0 माता स्वयं सुगन्धी देवी के खाता सं0 430 गाटा सं0 911 रकबा 0.194 माल गुजारी 4.88 में उल्लिखित व्यक्तियों के नाम उल्लिखित भूमि से खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार (गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर) का नाम खतौनी में दर्ज कागजात किया जाय।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त आँकड़े मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 16:14:33

ग्राम क्रमांक : 217324 ग्राम का नाम (परगना) : मान्बेला (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00268

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से मे	(8) क्षेत्रफल मे(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
670	1) रामनयन/धनई/ग्रा.नि.			670(2173240670000012)	0.0850	1) 1/1	1) 0.0850	2.13
							0.0850	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव शून्य आठ पाँच शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - दो दशमलव एक तीन रूपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव शून्य आठ पाँच शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायलय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 16:14:33

ग्राम क्रमांक : 217324 ग्राम का नाम (परगना) : मानबेला (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00268

	/ पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) परवाना से प्राप्त। कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0 सं0) गोरखपुर पत्रांक 900/ आठ मि0 भू0 अ0 अ0 (सं0 सं0) गोरखपुर -21/ दिनांक 17 सितम्बर 2021पर तहसीलदार सदर के आदेश दिनांक 20.09.21 के क्रम में ग्राम मानबेला तप्पा खुटहन परगना हवेली तहसील सदर जिला गोरखपुर के फागू व तेरस पुत्रगण अशर्फी के खाता सं0 14 गाटा सं0 673 मि0 रकबा 0.059-1/3 हे0 माल गुजारी 1.52 व आनन्द सिंह पुत्र विरेन्द्र सिंह, शिवकुमार शर्मा पुत्र अभिराज शर्मा निवासी बशारतपुर गोरखपुर के खाता सं0 42 के गाटा सं0 695 मि0 रकबा 0.259 हे0 व अशोक कुमार ललित भारती पुत्र बाबू प्रसाद साकिन देवरिया के खाता सं0 42 गाटा सं0 695 मि0/0.052 व संजय कुमार पुत्र रामप्रीत सिंह साकिन सुदीहा पोस्ट परसा वाया फतहा हा0 मु0 सरोजनी नगर महराजगंज के खाता सं0 42 गाटा सं0 695 मि0 /0.017हे0 माल गुजारी 8.45 रू0 व दयाशंकर लाल गुप्ता पुत्र महादेव प्रसाद गुप्ता सा0 सूबेर सागर गोरखपुर व भुआल व भरथ पुत्रगण रामप्रसाद निवासी तिवारीपुर के खाता सं0 178 गाटा सं0 675 रकबा 0.259 हे0 माल गुजारी 6.65 व सुनीता शर्मा पत्नी सुरेन्द्र नाथ विश्वकर्मा व अक्षय कुमार नाबा0 उम्र 11 वर्ष पुत्र सुरेन्द्रनाथ विश्वकर्मा संरक्षिका श्रीमती सुनीता शर्मा पत्नी सुरेन्द्रनाथ विश्वकर्मा नि0 ई0 डब्लू0 एस0 जनप्रिय बिहार कालोनी गोरखपुर के खाता सं0 202 गाटा सं0 708 मि0 रकबा 0.126 हे0 माल गुजारी 3.11 व हीरामन पुत्र सन्तबली खाता सं0 208 गाटा सं0 678 मि0 रकबा 0.060 हे0 माल गुजारी 1.41 व रामनयन पुत्र धनई ग्रामवासी के खाता सं0 317 गाटा सं0 671 मि0 रकबा 0.045 हे0 व गाटा सं0 670 मि0 रकबा 0.085 हे0 माल गुजारी 3.31 रू0 व सरस्वती देवी पत्नी विश्वनाथ मौर्य सा0 बरगी बुजुर्ग पो0 इसराजिया पट्टी हाल मु0 302 ए कौशलपुरम बशारतपुर के खाता सं0 435 गाटा सं0 697 मि0 रकबा 0.300 हे0 माल गुजारी 7.70 रू0 से उल्लिखित व्यक्तियों का नाम उल्लिखित भूमि से खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार (गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर) के नाम खतौनी में दर्ज किया जाय।

BHULEKH
Uttar Pradesh

Hindi

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 16:43:54

ग्राम क्रमांक : 217324 ग्राम का नाम (परगना) : मानबेला (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00001

श्रेणी : 1 / ऐसी भूमि, जिसमें सरकार अथवा गाँवसभा या अन्य स्थानीय अधिकारियों जिसे 1950 ई. के उ. प्र. ज. वि. एवं भू. व्य. अधि. की धारा 117 - क के अधीन भूमि का प्रबन्ध सौंपा गया हो , खेती करता हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व :
671मि.	1) उत्तर प्रदेश सरकार गोरखपुरविकास प्राधिकरणगोरखपुर/./.		.	671मि.(21732406712000111)	0.2100	1) 1/1	1) 0.2100	5.20
							0.2100	

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव दो एक शून्य शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - पाँच दशमलव दो शून्य रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - शून्य दशमलव दो एक शून्य शून्य (हेक्टेयर)

नामान्तरण / खातेदार की श्रेणी परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

18/Nov/2024 16:43:54

ग्राम क्रमांक : 217324 ग्राम का नाम (परगना) : मानबेला (हवेली) तहसील : सदर जनपद : गोरखपुर फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) भाग : 1 (1) खाता संख्या : 00001

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति
(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19) अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) परवाना से प्राप्त उपजिलाधिकारी सदर गोरखपुर वाद सं.146/11/12-11-12/20-01-13राजाराम आदि बनाम गोवर्धन आदि। दावा हस्ब दफा 176का आदेशहवाला खाता सं.256 (अ.न.नं. 472मि./0.025 के खाता) पर दर्ज है।

2) ना.तह.नगर वाद सं.2002/23-2-15आ.सं.568रकबा 0-98डि.अपने हक व हिस्सा लगान परता 60ख से विक्रेता शाहनवाज तौकीर खाँ तनवीर अपर सिविल जज (सी.डि.कोट नं.-14)गोरखपुर मुस्तकिम, जावेद, जुबेर बालिग पुत्रगण स्व.असलम व श्रीमती हदीबुन निशा पत्नी स्व.असलम निवासीगण मौजा मानबेला का नाम खारिज करके क्रेता विभा जायसवाल पुत्री छेदी प्रसाद जायसवाल कार्यकारी निदेशक जायसवाल कालोनाइजर्स मंदिर भवन रामनगर गोरखपुर का नाम पंजीकृत बैनामा के आधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात होवे।

3) परवाना से प्राप्त। कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, (सं0सं0), जनपद गोरखपुर के पत्रांक 51/आठ-वि0भू0अ0अ0/गो0-23/ दिनांक 13 अप्रैल, 2023 पर पृष्ठांकित तहसीलदार सदर के आदेश दिनांक 15-04-2023 के अनुपालन में - गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर के पत्रांक-873/भू-अर्जन अनु0/गो0वि0प्रा0/2022-23 दिनांक 17-01-2023 के क्रम मे अधिग्रहित आराजी संख्या 598मि0 अर्जित रकबा 0.162 हे0 भूमि के अमलदरामद संशोधन के सम्बन्ध में आदेश हुआ कि ग्राम मानबेला, तप्पा खुटहन , परगना हवेली , तहसील सदर, जनपद गोरखपुर की गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर हेतु अधिग्रहित आराजी संख्या- 598मि0 अर्जित रकबा 0.162 हे0 में खातेदार श्री झकरी पुत्र गया नि0 मानबेला का नाम रकबा 0.162 हे0 में से 3068.00 वर्गफीट यानी 0.028503 हे0 कम करके श्री रामअवध पुत्र स्व0 विश्वनाथ का नाम उक्त रकबा 3068.00 वर्गफीट यानी 0.028503 हे0 भूमि से खारिज करके उत्तर प्रदेश सरकार (गोरखपुर विकास प्राधिकरण गोरखपुर) का नाम दर्ज हो ।

कृपया उक्त खसरे की प्रास्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद पस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें

Disclaimer: उक्त अभिलेख मात्र अवलोकनार्थ है, उक्त विवरण अप्रमाणित है, प्रमाणित कम्प्यूटर केन्द्र एवं सी एस सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.